नई दिल्ली
रविवार, 26 मई, 2024, मूल्य-15.00
राष्ट्रीय
वर्ष-6 अंक-31, पृष्ठ- 8
RNI: DELHIN / 2018 / 76679
Postal Reg. No. DL(C)-05/1425/2022-24
License To Post Without Pre Payment No. U(C)-164/2022-24
Magazine Post Reg. No. DL(DS)-31/MP/22-24

संडे नवजीवन

Freedom is in Peril, Defend it with all your might Jawaharlal Nehru

लोग मोदी से उकता चुके हैं, यह चुनाव मोदी बनाम आम नागरिक, उनकी वापसी संभव नहीं 2

चुनाव बाद नीतीश कुमार फिर यू टर्न ले लें, तो आश्चर्य नहीं 5

जिंदगी की दौड़ में रोड़े 8

www.navjivanindia.com | @navjivanindia | www.nationalheraldindia.com | www.qaumiawaz.com

सत्ता सौंपने में हंगामा भी असंभव नहीं

सारी तिकड़मों के बाद भी भाजपा बहुमत से 30-40 सीटें पीछे रह जाने वाली है। तब कमजोर सहयोगी भी साथ न देंगे

अभय शुक्ला

मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन माननीयों ने वीवीपैट पर्चियों की गिनती को अनिवार्य करने की याचिका खारिज की थी, वे इन दिनों अच्छी नींद सो रहे होंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि अब तक उन्हें एहसास हो गया होगा कि मौजूदा चुनाव आयुक्तों पर उनका भरोसा कितना गलत था! मतदान के हर दौर में ईवीएम की खराबी, किसी भी बटन को दबाने पर भाजपा का ही निशान प्रदर्शित होना, पुलिस की मिलीभगत से सत्ताधारी पार्टी के गुंडों द्वारा ईवीएम पर 'कब्जा' कर लिया जाना, मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोकना, एक भाजपा उम्मीदवार का बूथ के अंदर आईडी चेक करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को जबरन उठाना, स्ट्रॉन्ग-रूम में सीसीटीवी कैमरों का बिजली 'न रहने' के कारण काम न करना, एक खास समुदाय के मतदाताओं के नाम सामूहिक रूप से मतदाता सूची से गायब हो जाना जैसी तमाम घटनाओं पर चुनाव आयोग की चुप्पी ने उनके भ्रम को दूर कर दिया होगा।

हाल ही में एक मामले में माननीय न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग और उसकी निष्पक्षता पर पूरा भरोसा जताते हुए अपना फैसला सुनाया था। वे कितने गलत थे, यह आए दिन साबित हो रहा है। मौजूदा चुनाव आयोग 1947 के बाद का सबसे अक्षम आयोग है। यह ग्रेनाइट के एक ब्लॉक की तरह 'पारदर्शी', मौन व्रत रखे एक भिक्षु की तरह संवाद कायम करने वाला और कॉर्क निकालने वाले पेंच की तरह सीधा है। यह नफरती बोल वाले भाषणों पर कोई कार्रवाई नहीं करता; ऐसे सांप्रदायिक भाषणों को चार दिन चलने देता है और उसके बाद ही कहीं जाकर उसे हटवाता है; वह लगातार मुस्लिम विरोधी बातें करने के लिए प्रधानमंत्री को तलब करना तो दूर, उनका नाम तक लेने से डरता है। इसके 'नोटिस' खास तौर पर विपक्षी दलों पर लक्षित होते हैं; यह बिना कोई सफाई दिए केवल मतदान प्रतिशत बताता है और मतदान संख्या भी बताने की परंपरा को बदल देता है: यह जानकारी भी देने में आज के 'डिजिटल इंडिया' के युग में उसे कई दिन लग जाते हैं! और, किसी तरह का कोई संदेह बाकी न रह जाए कि वह किसके साथ खड़ा है, ऐसी स्थिति बनाते हुए वह केवल पत्र में इस मुद्दे को उठाने के लिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष पर निशाना साधने से नहीं चूकता! इस आयोग की विश्वसनीयता बेहद निचले स्तर पर पहुंच गई है और यह दिन-ब-दिन और गिरती जा रही है। यह बात हम सब जानते हैं लेकिन जाहिर तौर पर माननीय न्यायाधीशों को यह पता नहीं।

मुझे आशंका है कि आयोग के इस चरित्र और रुख की देश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। असली उत्पात तो मतगणना के दिन होगा.

***

ऐसा लगता है कि श्री मोदी की 'दिव्यता' का कुछ असर मुझ पर भी हो गया है: इन दिनों, 7,000 फुट की ऊंचाई पर अपने पहाड़ी घर में बैठकर मैं माउंट सिनाई पर मूसा की तरह महसूस करता हूं जो नीचे चल रही उन्मत्त गतिविधियों को देख रहा है। मूसा के उन दिनों की तुलना में भी चीजें ज्यादा नहीं बदली हैं- उन्होंने जो देखा, वह सुनहरे बछड़े की पूजा थी; आज जो मैं देख रहा हूं, वह भगवा गाय का उन्माद है (कहने की जरूरत नहीं कि मैं यह रूपक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा)। चलिए गैर-इब्राहीम तुलनाओं के संदर्भ में इसे कहने की कोशिश करता हूं- मैं इसे चंद्रखानी दर्रे की ऊंचाई पर स्थित मलाणा गांव के जमलू देवता की तरह महसूस करता हूं जो कुल्लू के अन्य 'छोटे' देवताओं को रोड-शो आयोजित करते देख रहे हैं, जहां हर कोई मतदाताओं, क्षमा करें, भक्तों को लुभाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आखिर भक्त है, तभी तो भगवान है! यह बता देना भी जरूरी है कि जमलू देवता को दिल्ली में राज करने वाले एक अन्य देवता- 'जुमला' देवता समझने की भूल न करें।

खुल्लमखुल्ला यूपी के संभल के मुबारकपुर गांव के लोगों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें मारा-पीटा और उनसे आई-कार्ड और वोटर पर्ची छीन ली।

और जो मैं देख रहा हूं, वह यह है कि चुनाव आयोग की कृपा, आधिकारिक तंत्र के दुरुपयोग और चुनावी बॉण्ड की शक्ल में हजारों करोड़ की रिश्वत जमा कर लेने के बावजूद भाजपा साधारण बहुमत से कम-से-कम 30-40 सीटें पीछे रह जाने वाली है। एनडीए के कमजोर सहयोगियों के खाते में लगभग 30 सीटें आ सकती हैं लेकिन इस बात की संभावना नहीं है कि वे भाजपा को बचाने के लिए आगे आएंगे। जैसा कि परकाला प्रभाकर ने हाल ही में करण थापर के साथ इंटरव्यू में कहा कि ये पार्टियां किसी भी तरह भाजपा की वैचारिक सहयोगी नहीं हैं, वे उसके 'प्रासंगिक' सहयोगी हैं। जब प्रसंग बदल जाएगा, यानी भाजपा कमजोर दिखेगी और उसके साथ रहने में उसके सहयोगियों का फायदा नहीं रहेगा तो वे कहावत के चूहों की तरह 'जहाज' से कूद पड़ेंगे। जब गंदगी चरम पर होती है तो यह एक अहम पल होता है। हम सब को चिंता करनी चाहिए क्योंकि यह पल उन सभी संस्थानों, समझौतों और कानूनों की परीक्षा लेगा जिन्हें हमने बरसों के दौरान बनाया और सहेजा है।

मोदी पिछले 22 सालों से लगातार सत्ता में हैं और उन्होंने यह बात किसी से छिपाई भी नहीं कि उन्हें यह सब इतना पसंद है कि वह इसे किसी और को सौंपने की कोई संभावना ही नहीं रखते- चाहे चुनाव हो या चुनाव न हो। आखिरकार, उन्हें खुद ईश्वर ने शासन करने के लिए चुना जो है! इसके अलावा, अगर उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी तो उनके पास खोने और डरने के लिए बहुत कुछ है। उनकी ज्यादतियों ने उनके अनेक शत्रु बना दिए हैं; तलवार के बल पर जीने के कारण वह उनसे किसी प्रकार की रहमदिली की उम्मीद नहीं कर सकते। उनके निरंकुश फैसलों पर सवाल उठाए जाएंगे और जांच की जाएगी- राफेल, नोटबंदी, पीएम केयर्स फंड, चुनावी बॉण्ड, पेगासस, पनामा और पेंडोरा पेपर्स, अडानी पर हिंडेनबर्ग का खुलासा, अपने पूंजीपतियों को बंदरगाह, हवाई अड्डे, खदानों के ठेके.. लंबी फेहरिस्त है। एक बार जैसे ही पिछले 10 सालों से दबाए गए सिविल सोसाइटी और मीडिया पर से दमनकारी दबाव हटेगा, उनकी ओर खूनी उंगलियां उठाने के लिए अतीत के आगोश में दफन शवों को खोदकर निकाला जाएगा- 2002 के गुजरात दंगे, 2021 के पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगे, जज लोया प्रकरण, सोहराबुद्दीन और कौसर बी की मुठभेड़ें, मणिपुर में हत्याएं, संजीव भट्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में डालना। इसके साथ ही ऐसे तमाम और मामले भी सामने आ जाएंगे।

हालांकि इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि तब भी उनकी महापापपूर्ण ज्यादतियों में उनके सहयोगी रहे लोगों का उनको साथ मिलेगा जिनकी नौकरशाह, पुलिस और सशस्त्र बल, चुनाव आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य नियामक निकाय, यहां तक कि न्यायपालिका जैसी संस्थाओं पर भी जिनकी पकड़ हो। पिछले दस सालों के दौरान सरकार के लगभग हर अंग में दक्षिणपंथी सहानुभूति रखने वालों की अच्छी-खासी घुसपैठ करा दी गई है और उन सब को इस बात का अच्छी तरह एहसास होगा कि वह दौर न केवल मोदी की निरंतरता के लिए बल्कि उनके अपने अस्तित्व के लिए भी एक खतरा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे सत्ता में किसी भी तरह के बदलाव को टालेंगे, और चूंकि वे सिस्टम में अहम पदों पर होंगे, इसलिए वे किसी भी बदलाव के लिए एक ताकतवर चुनौती बन जाएंगे।

उनके पास जिस तरह के संसाधन हैं और सरकारी ढांचे के भीतर उन्हें जिस तरह का समर्थन हासिल है, मोदी से यही उम्मीद की जा सकती है कि सत्ता में बने रहने के लिए वह जमीन-आसमान एक कर देंगे। 1977 के दोहराने की कोई संभावना नहीं जब श्रीमती गांधी ने शांतिपूर्वक और भले मन से सत्ता सौंप दी थी। और फिर, पिछले एक दशक के दौरान एक-दूसरे को नियंत्रित और संतुलित रखने वाली हमारी संस्थाएं पूरी तरह तबाह हो गई हैं, स्वतंत्र मीडिया नाम की चीज नहीं रह गई, हमारे नेताओं का चरित्र गर्त में जा चुका है और समाज का ताना-बाना बिखर चुका है। वाशिंगटन में जिस तरह ट्रंप के हारने पर हिंसा हुई, वैसी ही हिंसा से यहां इनकार नहीं किया जा सकता और इस तरह मौजूदा सत्ता को आपातकाल घोषित करने और सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित करने का बहाना मिल जाएगा। तब राष्ट्र का भाग्य राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करेगा; हालांकि मुझे इनमें से किसी से भी बहुत उम्मीद नहीं।

अगर, हेरफेर वाले चुनाव परिणामों के कारण मोदी और भाजपा पांच और साल के लिए सत्ता में रह जाते हैं तो भारत का वास्तविक लोकतंत्र के रूप में अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए स्वर्ग में सेवा करने की तुलना में नर्क में शासन करना बेहतर विकल्प होगा। ■

कृपया पेज 2 भी देखें

ये लेखक के निजी विचार हैं। अभय शुक्ला सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। यह https://avayshukla.blogspot.com से लिए उनके लेख का संपादित रूप है।

> मौजूदा चुनाव आयोग 1947 के बाद का सबसे अक्षम आयोग है। यह नफरती बोल वाले भाषणों पर कोई कार्रवाई नहीं करता; ऐसे सांप्रदायिक भाषणों को चार दिन चलने देता है और उसके बाद ही कहीं जाकर उसे हटवाता है; वह लगातार मुस्लिम विरोधी बातें करने के लिए प्रधानमंत्री को तलब करना तो दूर, उनका नाम तक लेने से डरता है

ऐसे होती है एक 'स्वतंत्र और निष्पक्ष' प्रक्रिया की हत्या

पलनिवेल त्यागराजन

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का असल मतलब क्या है? मेरे विचार से, इसकी कुछ जरूरी शर्तें हैं:

शुद्धता- संवैधानिक रूप से पात्र लोगों का मताधिकार सुनिश्चित करना और अपात्रों को इससे रोकने के लिए 100 प्रतिशत सटीक चुनाव का संचालन।

जागरूकता- हर नागरिक को मतदान प्रक्रिया के हर चरण की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें बिना किसी भ्रम के अपने मत का प्रयोग करना चाहिए।

गैर-पक्षपातपूर्ण वातावरण- चुनाव प्रक्रिया और मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र इतना तटस्थ हो कि बातें दबाई न जाएं, न ही कोई भी झूठ बोलकर बच निकलने में सफल हो।

विश्वसनीयता- प्रक्रिया इतनी पारदर्शी रहे कि कई लोग पुष्टि कर सकें कि यह नियमानुसार हुआ और कुछ भी अप्रिय या गलत नहीं हुआ।

पहुंच की समानता- सिस्टम को उम्मीदवारों के बीच उनकी पार्टी के आकार, भले ही वे निर्दल हों, के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी भी आम नागरिक के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं होगी।

सबसे वांछनीय नतीजे तभी आएंगे जब मतदान की पूर्ण शुचिता, उपकरणों की निर्विवाद सुरक्षा, गणना और पूरी मतदान प्रक्रिया की विश्वसनीयता और इस सबमें मतदाताओं द्वारा व्यक्त इरादे के अनुरूप नतीजे देने वाले उपकरणों की सहभागिता शामिल होगी।

ऐसे नतीजे भरोसा जगाएंगे कि हर किसी को मतदाता बनने का निष्पक्ष और समान अवसर मिला है, कि कार्यकारी शक्ति रखने वाले दल ने प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव या लाभ नहीं लिया है, और सिस्टम ने जो नतीजे दिए हैं, वह वास्तव में मतदाताओं की इच्छा का प्रकटीकरण है।

[...]

लगभग 96 करोड़ (960 मिलियन) पात्र मतदाताओं और 1.2 मिलियन से अधिक मतदान केन्द्रों के साथ, आम चुनाव के संचालन के लिए कई करोड़ बूथ अफसरों, बूथ एजेंटों, पर्यवेक्षकों और सुरक्षाकर्मियों की जरूरत होती है। इनमें से लगभग सभी की सेवाएं और भूमिकाएं उनकी मूल भूमिका से अलग और अस्थायी होती हैं।

चुनाव आयोग आज कागजी शेर बनकर रह गया है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया के लिए लाखों-करोड़ों लोगों की जरूरत होती है, भारत का चुनाव आयोग महज 500 से भी कम पूर्णकालिक कर्मचारियों के ढांचे पर चलता है। इस छोटे समूह का काम प्राधिकरण के होने के अहसास के साथ सिस्टम का प्रबंधन और व्यवस्थाओं अनुपालन सुनिश्चित करना है।

मौजूदा चुनाव मॉडल का सूक्ष्म विश्लेषण बताता है कि सिस्टम संरचनात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। किसी चुनाव में काम करने वाले 99 प्रतिशत से अधिक लोग सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सार्वजनिक उपक्रमों से आते हैं। आदर्श रूप से ये कर्मचारी इस अतिरिक्त कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उन्हें मिला प्रशिक्षण और कार्यात्मक समर्थन का स्तर किसी भी पेशेवर मानक के हिसाब से अपर्याप्त है। हालांकि यह चरम उदाहरण है लेकिन मध्य प्रदेश से 'दैनिक भास्कर' की रिपोर्ट के अनुसार, वहां माली और ड्राइवरों सहित 20 सरकारी कर्मचारियों को मतदान अधिकारी के रूप में लगाया गया था। इसे श्रमिकों के प्रति अनादर का भाव न माना जाए लेकिन काम का ऐसा लापरवाह बंटवारा, बेतरतीब प्रशिक्षण और समर्थन पूरी प्रक्रिया के प्रति सिस्टम की गंभीर

उपेक्षा दर्शाता है।

अब मतदाता सूचियां ही कितनी सटीक हैं?

[...]

जिन पांच चुनावों में काम करने का मौका मिला, उनके आधार पर कह सकते हैं कि मतदाता सूचियां ग्रामीण क्षेत्रों में 10 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत या उससे भी ऊपर तक 'त्रुटिपूर्ण' होती हैं। दशकों से जनगणना सरीखा कोई मतदाता पंजीकरण अभियान नहीं चला। तथ्य यह है कि साल दर साल बदलाव से लोगों की बूथ सूची में उनके क्रमांक लगातार बदलते रहते हैं। आयोग ने 2015 में 'पूरी तरह से त्रुटि रहित और प्रमाणित मतदाता सूची लाने' के उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एनईआरपीएपी) शुरू किया लेकिन इसकी भी अपनी कई दुशवारियां रही हैं। योजना के आलोचकों का कहना था कि आयोग पर न सिर्फ

> फॉर्म 17 का बाद में गिने गए वोट वाले फॉर्म 20 के साथ मिलान हो सकता है और कोई विसंगति मिलती है तो वह हमें धांधली के प्रति सचेत करती है। आज, हमारे सामने एक तमाशा चल रहा है। अब तो पांच हफ्ते बाद भी सिर्फ अंतिम वोटिंग प्रतिशत बताया जा रहा

"अपने आप में अंत के रूप में, बल्कि तत्कालीन सरकार की अन्य महत्वाकांक्षाओं जैसे 'एक साथ चुनाव या एक देश, एक चुनाव" की राह आसान करने के लिए एक शुरुआती कदम के रूप में दबाव डाला गया था।

ईपीआईसी (इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड) नंबर को आधार से जोड़ने के फैसले पर अगस्त, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। यह आशंका खारिज तो नहीं की जा सकती है कि इस तरह के लिंकेज का इस्तेमाल हाशिये के समुदायों के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिए किया जाएगा। केवल आधार-आधारित लिंकेज के माध्यम से मतदाता सूची का आमूल-चूल शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता है, खासकर उस देश में जहां हजारों आधार कार्ड ही फर्जी हों, और जिनमें भगवान हनुमान के लिए जारी आधार कार्ड भी शामिल है।

[...]

मतदान का दिन और ईवीएम का सुरक्षित रखरखाव

मौजूदा प्रणाली के तहत, प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक बूथ पर एक मुख्य और एक स्थानापन्न एजेंट की अनुमति होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, और बूथ पर किसी के द्वारा 'कब्जा' नहीं किया जा रहा है। ये एजेंट यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सूची में मतदान करने वाले व्यक्ति के साथ केवल एक ही मिलान हो, और किसी भी मतदाता को वोट देने से इनकार न किया जाए या किसी विशेष उम्मीदवार/पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर न किया जाए (जैसा कि इस चुनाव में मणिपुर में हुआ, यहां तक कि चुनिंदा रूप से अंधे चुनाव आयोग को भी पुनर्मतदान करने के लिए मजबूर कर दिया गया)।

मतदान के दिन प्रभावी प्रबंधन के लिए कम-से-कम 3,000 बूथ एजेंटों की आवश्यकता होती है, और बिना किसी पार्टी संरचना के प्रशिक्षण तो दूर की बात है, उम्मीदवार इतने लोगों को पहचान भी नहीं सकते हैं। इसलिए, यह समान अवसर का मामला नहीं है और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के लोकसभा सीट जीतने की संभावना लगभग नगण्य है (आंकड़े हैं कि पिछले चुनाव में 99 प्रतिशत निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी)। यहां इसकी चर्चा यह दिखाने के लिए है कि आयोग के अस्थायी कार्यकर्ताओं और पार्टी स्वयंसेवक या एजेंटों के लिए मतदान-पूर्व प्रक्रियाएं जैसे ईवीएम का परीक्षण और सत्यापन, यह सुनिश्चित करना कि नामांकन पत्र क्रम में हैं, विभिन्न रूपों (फॉर्म 10, फॉर्म 17, फॉर्म 20) को क्रॉस-रेफरेंस करना- दोनों के लिए अपेक्षाकृत नई प्रक्रियाएं हैं।

प्रक्रिया संबंधी वैसी कोई भी जानकारी जिसकी पूर्ण प्रशिक्षित, लंबे समय से काम कर रहे अधिकारियों से अपेक्षा होती है, किसी भी बूथ पर नदारद रहती है। सबसे महत्वपूर्ण तो फॉर्म 17 है क्योंकि इसमें मतदान के दिन क्या हुआ (कुल पंजीकृत मतदाता, ईवीएम में दर्ज कुल वोट, क्या यह मेल खाता है आदि) की व्यापक जानकारी होती है। एक महत्वपूर्ण संदर्भ डेटा के तौर पर फॉर्म 17 मतदान केन्द्रवार वोटों की संख्या बताता है। फॉर्म 17 का बाद में फॉर्म 20 (गिने गए वोट) के साथ मिलान हो सकता है और कोई विसंगति मिलती है तो वह हमें धांधली के प्रति सचेत करती है। आज, हमारे सामने एक तमाशा चल रहा है: पहले चरण के मतदान के पांच सप्ताह बाद भी आयोग आधिकारिक तौर पर अंतिम मतदान के आंकड़े नहीं जारी कर सका। इसकी वेबसाइट और ऐप हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या को लेकर वांछित डेटा नहीं दिखा रहे थे। ■

पेज 4 पर जारी

पलनिवेल त्यागराजन तमिलनाडु में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा मंत्री हैं। यह लंबा लेख पहले 'फ्रंटलाइन' पत्रिका में छपा।

मोदी और भाजपा की नहीं होने वाली है सत्ता में वापसी

कांग्रेस का फोकस घोषणा पत्र में किए वादों पर है। लोगों में कांग्रेस और 'इंडिया' को लेकर उत्साह है

ऐशलिन मैथ्यू

इंडिया गठबंधन के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष **मल्लिकार्जुन खरगे** को भरोसा है कि इस बार उनके गठबंधन की सरकार बनेगी। उनका विश्वास है कि लोगों ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा फैलाए जा रहे झूठ पर विश्वास करना बंद कर दिया है। उन्हें लगता है कि लोगों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर भारी उत्साह है। चुनावी गहमागहमी के बीच दिल्ली में **नेशनल हेरल्ड ग्रुप** के साथ खास बातचीत में खरगे ने दोहराया कि इस बार का लोकसभा चुनाव भाजपा बनाम देश के नागरिक है। संपादित अंश:

अब जबकि 429 सीटों पर मतदान हो चुका है, ऐसे कांग्रेस को क्या संभावनाएं या उम्मीदें नजर आती हैं?

कांग्रेस जीतने जा रही है क्योंकि यह चुनाव भाजपा बनाम आम नागरिक और मोदी बनाम आम नागरिक है। कांग्रेस की विचारधारा और उसके गठबंधन सहयोगी धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं। अब मोदी जिस तरह सामने आए हैं, उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या जरूरत है लोगों को धर्म, समुदाय के आधार पर बांटने की? वह ऐसे विषयों पर क्यों बोल रहे हैं जिन्हें लोकतंत्र में नहीं बोला जाना चाहिए। लोग उनसे उकता चुके हैं। वह कभी पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, कभी हिन्दू-मुसलमान, कभी दलित, कभी अनुसूचित जाति की बातें करते हैं। हमारा साफ कहना है कि हम संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं।

मैं यह गिना सकता हूं कि वह किस तरह संवैधानिक एजेंसियों को बरबाद कर रहे हैं और कैसे संविधान की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आजतक किसी एक व्यक्ति में इतनी शक्ति को कभी केन्द्रित नहीं किया गया। वह ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सतर्कता विभाग आदि का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर ये सब चलता रहा तो अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और वह ऐसे सभी ईमानदार और समझदार लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करते हैं। हमारा मानना है कि इस बार उनकी सीटें निश्चित घटने वाली हैं।

ऐसा लगता है कि दक्षिण में तो कांग्रेस अच्छी स्थिति में है लेकिन उत्तर को लेकर क्या संभावनाएं देख रहे हैं?

दक्षिण के सभी राज्यों में हमें अच्छी संख्या में सीटें मिल रही हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तमिलनाडु में बहुत अच्छा प्रदर्शन करनेवाले हैं। उत्तर भारत में भी हमारी स्थिति सुधर रही है। मिसाल के तौर पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमें अच्छी सीटें मिलने वाली हैं। मध्य प्रदेश में कम-से-कम 5-6 सीटें मिलना तय है। हरियाणा में 100 प्रतिशत सुधार करने वाले हैं। पंजाब में हमारी सीटें बचेंगी और दिल्ली में भी हमें फायदा होगा। तो फिर सवाल है कि आखिर मोदी जीतेंगे कहां से?

आपको क्या लगता है कि इंडिया ब्लॉक कितनी सीटें जीतेगा, विशेष तौर पर कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी?

इस समय मैं सीटों के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि हमारे गठबंधन के सहयोगी भी हैं। लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें जरूर मिलेंगी कि वह भाजपा को सत्ता में आने से रोक देगा। हमें सरकार बनाने लायक सीटें जरूर मिलेंगी।

क्या कांग्रेस इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही है कि भाजपा अगर सत्ता में वापस आई तो संविधान बदल देगी?

सिर्फ कांग्रेस ने ही यह मुद्दा नहीं उठाया है। गठबंधन के सभी साझीदारों ने भी इसे उठाया है और लोग इसे समझ रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेता कहते रहे हैं कि अगर उनके पास संख्या होगी, तो वे संविधान बदल देंगे। यह हम नहीं कह रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर बड़े साझीदारों के मुताबिक गठबंधन जारी रखने के लिए कौन से बड़े अहम राजनीतिक फैसले लिए गए?

हमने सभी फैसले अन्य पार्टियों के साथ सलाह-मशविरे से लिए हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन में तीन दल हैं। तमिलनाडु में आपने देखा ही हमने क्या किया। उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कई साझा जनसभाएं की हैं।

जहां भी जरूरत पड़ी, और भले ही हमें कम सीटें मिलीं, हमने वहां एडजस्ट किया है। हमें उनको जगह देनी पड़ी। इसके बाद भी अगर कोई मतभेद होते हैं तो हमारी टीम काम करती है। मैंने अन्य दलों के साथ मुद्दे सुलझाने और सहमति पर पहुंचने के लिए पांच सदस्यीय टीम बनाई है।

प्रधानमंत्री मोदी अपने सांप्रदायिक और नफरत वाले भाषणों पर जोर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ही इस पर खामोश हैं। क्या ध्रुवीकरण का लोगों के बीच असर हुआ है। क्या इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है?

मोदी हमेशा से ही लोगों को ध्रुवीकृत करते रहे हैं, यह आज की बात नहीं है। उन्होंने 2014 और 2019 में भी यही किया था। वह तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति छीन लेगी और लोगों को बांट देगी। संपत्ति उन्हें दे दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। हिन्दू-मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वह सिर्फ नफरती भाषण दे रहे हैं। वह संघ प्रचारक की तरह बातें करते हैं। लेकिन लोग अब उन्हें समझ गए हैं। यह चुनाव कांग्रेस के बारे में है ही नहीं। यह चुनाव तो लोगों और मोदी के बीच है। जो लोग हमारे गठबंधन का समर्थक करते हैं, वे ही मोदी और आरएसएस से लड़ रहे हैं।

> मोदी हमेशा से ही लोगों को ध्रुवीकृत करते रहे हैं, यह आज की बात नहीं है। हिन्दू-मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वे सिर्फ नफरती भाषण दे रहे हैं। संघ प्रचारक की तरह बातें करते हैं। लोग उन्हें समझ गए हैं। उनकी वापसी की कोई संभावना नहीं बची है

हेट स्पीच के जाल में उलझने से कांग्रेस कैसे बची रही?

कांग्रेस का फोकस अपने मैनिफेस्टो पर है और इस पर है कि वह लोगों के लिए क्या करेगी। वे सिर्फ वोट हासिल कर सत्ता में आने के लिए हेट स्पीच का सहारा ले रहे हैं। लोग इस जाल में नहीं फंसने वाले।

प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस साफ हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे?

वह तो हमेशा से कांग्रेस मुक्त की बात करते रहे हैं। हम कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में आ गए। हम मध्य प्रदेश में सत्ता में आए थे लेकिन उन्होंने इसे छीन लिया। उन्होंने महाराष्ट्र में भी सत्ता छीनी। वे तो हमेशा दूसरे दलों को तोड़कर सत्ता में आते हैं। क्या लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए?

गठबंधन के सहयोगी के तौर पर ममता बनर्जी को कैसे देखते हैं?

मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता। हम कुछ सीटों पर लड़ रहे हैं। देखते हैं कि हमें कितनी सीटें मिलती हैं। चुनाव के बाद हम सब एक साथ आ जाएंगे।

कई जगह से चुनावी गड़बड़ियों की रिपोर्ट मिली हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग अपना काम ठीक कर रहा है?

ये सब देखना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। हम न तो इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं और न ही चुनाव अधिकारियों के काम में दखल देना चाहते हैं। लेकिन भाजपा-आरएसएस हमेशा से वोटर लिस्ट में फर्जी नाम शामिल कराती रही है और अंदरूनी इलाकों में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करती रही है। क्योंकि उनके पास अभी सत्ता है, सरकारी मशीनरी है, अफसरों को अपने साथ मिलाया है। पहले तो उन्होंने मीडिया की तारीफ की थी। अब वे बोलते हैं कि मीडिया उनका साथ नहीं दे रहा, खासतौर से प्रिंट मीडिया को निशाना बना रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में क्या कुछ अहम चुनावी मुद्दे रहे हैं, खासतौर से रायबरेली में। क्या इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी सीट बदली है?

वहां अब चुनाव हो चुका है। उसका विश्लेषण होना है। अभी दो चरण बाकी हैं और हमारा ध्यान उन पर है।

आपने अब तक के मतदान में वोटरों की संख्या जारी न किए जाने का मुद्दा उठाया है। क्या वह चिंता है...

मेरी चिंता तो यह है कि मतदान के आंकड़े जारी नहीं हो रहे। मैंने चुनाव आयोग के संज्ञान में यह बात डाली है। वे इस बात से सहमत नहीं हैं। आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा इस बारे में। कोर्ट ने कहा है, "चुनावों के आंकड़े जारी करने में क्या दिक्कत है।" उन्हें तो सिर्फ 543 सीटों के आंकड़े जारी करने हैं, तो आखिर वे चरणबद्ध तरीके से क्यों नहीं जारी करते। हमारी बात सुनी गई है लेकिन चुनाव आयोग अभी भी अपने ही फैसले पर है। देखते हैं क्या होता है।

कई निर्दलीय उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि उन्हें फॉर्म 17 सी नहीं मिला। क्या कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या कांग्रेस अपने फॉर्म 17 सी जारी करेगी?

यह ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें मैं सीधे नहीं देखता हूं। महासचिव (संगठन) इसे देखेंगे। इसके अलावा चुनाव प्रभारी हैं, वे देखेंगे। विभिन्न राज्यों के प्रभारी महासचिव देखेंगे। हम तो चाहते हैं सभी डेटा सामने आए। हम आगे क्या करेंगे, अभी कहना मुश्किल है।

क्या इस बारे में कांग्रेस कोर्ट जाएगी?

मैंने वोटरों की संख्या का मुद्दा उठाया था। गठबंधन सहयोगियों ने भी चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर आंकड़े जारी करने में क्या दिक्कत है। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि दो चरणों का मतदान बाकी है। चुनाव आयोग ने हमारी चिंताओं का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। ■

फोटो: विपिन

सबको पता है, बदल गया है हवा का रुख, पर...

अगर कोई भाजपा को 370 सीटें मिलने का दावा करता है, तो उसने या तो गांजा पी लिया है या चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली कर सकने की हालत में है

कुमार केतकर

आप क्या यह सोच भी सकते हैं कि इस चुनाव में मोदी-शाह की भाजपा को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा? जिस तरह और जिस पैमाने पर प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, उसमें भला कोई यह सोचे भी तो कैसे? आलम यह है कि उनके आलोचक और कट्टर संशयवादी भी यह नहीं मान पा रहे कि ये लोग सत्ता में नहीं आने जा रहे।

हालांकि इस बात के तमाम संकेत हैं कि बड़ी सावधानी के साथ तराशी गई मोदी की छवि में दरारें पैदा हो गई हैं। ऐसा ही एक संकेत तब दिखा जब अपने हालिया साक्षात्कारों में से एक में उन्होंने कहा कि 'परमात्मा ने मुझे भेजा है।' लेकिन इसमें संदेह नहीं कि अगर मोदी और उनका ब्रिगेड इन चुनावों में उलटफेर करके जनादेश को पलटने में सफल भी हो जाएं, तो भी मोदी की 'प्रतिष्ठा' को तो धक्का लगेगा ही।

चुनाव आयोग सहित वरिष्ठ पदों पर तीन दशकों से भी ज्यादा का अनुभव रखने वाले पूर्व नौकरशाह एम.जी. देवसहायम को लगता है कि मोदी की भाजपा को किसी भी सूरत में 170 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। चुनाव आयोग के हालिया रुख को देखने के बाद उन्होंने आयोग के 'अवैध और असंवैधानिक' आचरण को रोकने के लिए एक आंदोलन शुरू किया है। देवसहायम ने चुनाव आयोग की 'अधम' कार्रवाइयों के खिलाफ मामले दर्ज कराए हैं और सौ से ज्यादा पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को 'लोकतंत्र को खत्म करने और संविधान को हाशिये पर धकेलने के लिए की जा रही धोखाधड़ी' के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट किया है। उन्हें यकीन है कि देश का मूड मोदी के खिलाफ है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बात का बखूबी अंदाजा है।

इसका सबसे महत्वरपूर्ण संकेत तो भाजपा खेमे से ही आ रहा है। भाजपा नेता दबे स्वर में कहने लगे हैं कि पीएम और पीएमओ ने उन्हें 'माटी का माधो' बना दिया है। मंत्री रह चुके नेता मानते हैं कि मंत्रिस्तरीय बैठकें बिल्कुल छोटी होती हैं और उन्हें एक पन्ना थमा दिया जाता है ताकि संसद या मीडिया के सामने उसे पढ़ दें। यहां तक कि निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए काम की न कोई सराहना की जाती है और न वे स्वतंत्र रूप से कोई काम ही कर सकते हैं। इन नेताओं का मानना है कि चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना होगा।

ज्यादातर ओपिनियन और एक्जिट पोल इस भावना को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इसका कारण या तो यह है कि उनके नमूने बहुत छोटे होते हैं या फिर यह कि ये पोल निर्देशित हैं या फिर पोल नतीजे के साथ छेड़छाड़ की गई। तो फिर भला जनता के नब्ज को कैसे समझें? इसका जवाब है- आम लोगों से बातचीत जैसे गैर-परंपरागत तरीकों से और चुनावों को देख-देखकर विकसित हुई राजनीतिक दृष्टि से। सतह के भीतर की तरंगें शायद ही सतह पर दिखती हैं- 1971 की तथाकथित इंदिरा लहर, 1977 की जनता-जेपी लहर, 1984 में श्रीमती गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर इसके अपवाद थे।

***

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तथाकथित 'सही भविष्यवाणियां' भी काफी हद तक आकस्मिक होती हैं। स्थानीय पत्रकारों, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, तीसरे और चौथे दर्जे के सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, कल-कारखाने में काम करने वाले मजदूरों, गरीब- किसानों, सशस्त्र सेना में काम करने वाले जवानों, पुलिस कांस्टेबल वगैरह से बातचीत से आपको बेहतर अंदाजा मिलता है कि जमीन पर माहौल कैसा है। बड़ी संख्या ऐसे छोटे-बड़े सरकारी कर्मचारियों की है जो सरकार से तंग आ चुके हैं। उनकी 'अंदरूनी बातें' शायद ही कभी प्रिंट या टेलीविजन पर आती हैं। टैक्सी ड्राइवर, ऑटोवाला और गली-नुक्कड़ पर पान बेचने वालों की बातों को ही ज्यादातर पत्रकार आम लोगों की आवाज के रूप में पेश कर देते हैं लेकिन केवल ये ही 'आम लोग' नहीं हैं।

हवा किस ओर बह रही है, यह जानने के लिए राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील घ्राण शक्ति होनी चाहिए। फिर तो एक तिनके से ही पता चल सकता है कि हवा का रुख किधर है। इसकी कोई प्रमाणित वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। इसे सामने आने वाली विभिन्न घटनाओं से जानना होता हैः छोटी-बड़ी चुनावी रैलियों में भीड़ से लेकर; लोग कार्यक्रम स्थल पर कैसे पहुंचे, क्या उन्हें बस से लाया गया था, क्या वे स्वयं आए थे; उनकी विभिन्न वक्ताओं की बातों पर कैसी प्रतिक्रिया रही; कितने बीच में छोड़ गए; लौटते समय उनके बीच किस तरह की चर्चा हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मीडिया और राजनीतिक दल इन्हीं आधारों पर जनता का मूड समझने की कोशिश करते हैं।

***

चुनावों को प्रभावित करने में पैसा कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित एक हालिया लेख में निवेश विश्लेषक रुचिर शर्मा कहते हैं: '... उम्मीदवार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 125 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं जिसका मतलब है कि कुल खर्च 1 अरब डॉलर से अधिक है।' मैंने मतदान से ठीक पहले के दो दिनों में पांच लोगों के परिवारों को 25,000 रुपये दिए जाते देखा है। मैंने झुग्गी-झोपड़ियों में सैंडविच के साथ दो हजार के नोटों वाले लिफाफे बांटते देखा है। 2/1 बीएचके वाली मध्यवर्गीय हाउसिंग सोसाइटियों में उम्मीदवार और राजनीतिक दल आरडब्ल्यूए की सहमति से इमारतों को पेंट करने या केबल कनेक्शन देने पर लाखों खर्च कर रहे हैं। वोटरों को रिश्वत देना, पैसे बांटना जैसी बातें कोई छिपी नहीं हैं।

***

1984-85 से पहले के चुनावों में 'कार्यकर्ता' किसी पार्टी के प्रति वफादार या किसी खास उम्मीदवार का समर्थक होता था। वे पड़ोस के सामाजिक कार्यकर्ता या विचारधारा से प्रेरित लोग होते थे। न केवल कम्युनिस्ट और समाजवादी बल्कि तत्कालीन जनसंघ, शिव सेना और आरएसएस के स्वयंसेवक भी चुनाव अभियानों में खूब मेहनत करते थे। आज स्थिति यह है कि 'कार्यकर्ता टीमें' किराये पर उपलब्ध हैं। बस पैसे निकालिए।

एक समय था जब पार्टी कार्यकर्ता मुफ्त खाने, आने-जाने के लिए गाड़ी उपलब्ध हो जाने से ही संतुष्ट हो जाते थे। 1967, 1971 और 1977 के चुनाव अभियानों में तो ये 'सुविधाएं' भी नहीं थीं। मैंने समर्पित कम्युनिस्ट, कांग्रेस और आरएसएस के स्वयंसेवकों को अपना पैसा खर्च करते, कारखानों और दफ्तरों से छुट्टी लेकर उम्मीदवारों के लिए काम करते देखा है। क्या आज हम वैसे चुनाव अभियान की कल्पना कर सकते हैं?

मैं आपके सामने कोई निराशावादी चित्र नहीं खींचना चाहता। अब भी बड़ी संख्या में ईमानदार स्वयंसेवक, ईमानदार मतदाता और ईमानदार नेता मौजूद हैं। इन्हें खरीदा नहीं जा सकता और वे ही भाजपा को परेशान करते हैं। इसीलिए भाजपा की धनबल और बाहुबल पर निर्भरता है। यह जानते हुए कि इन चुनावों में उन्हें जीत नहीं मिलने वाली, भाजपा के रणनीतिकारों ने यह सुनिश्चित किया है कि सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी हो, वह करे और ऐसा करने के लिए उसके पास संसाधनों की कोई कमी तो है नहीं।

जबकि आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम, तमिलनाडु में द्रमुक और अन्नाद्रमुक, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस जैसी पार्टियों ने भी खेल के गुर सीख लिए हैं, पर भाजपा ने उन सबको पीछे छोड़ दिया है। उसने न केवल हर तरीके से अपना खजाना भरा (चुनावी बॉण्ड, पीएम केयर्स फंड वगैरह से), बल्कि विपक्ष का गला घोंटने की भी पूरी कोशिश की। उदाहरण के लिए, चुनाव से ऐन पहले प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने को ही लीजिए।

वापस आइए विभिन्न पोल की भविष्यवाणियों पर। वैसा हर व्यक्ति जो अब भी सोचता है कि भाजपा अपने बूते 370 सीटें और एनडीए 400 के पार होने जा रहा है, उसने या तो गांजा पी लिया है या वह इस हालत में है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली कर सके। बाद वाली स्थिति डराने वाली है लेकिन असंभव नहीं। चुनाव विश्लेषक प्रशांत किशोर भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं जबकि योगेंद्र यादव 230 के आसपास। चुनाव भविष्यवाणी एक जटिल काम है। प्रशांत किशोर शायद जानते हों कि लोग बेशक मोदी से निराश हों लेकिन उनसे गुस्सा नहीं हैं। क्या यह चुनाव मोदी पर जनमत संग्रह है? नतीजे घोषित होने तक सब्र करें। ■

प्रकाशकः **पवन कुमार बंसल**; संपादकः **राजेश झा**; **पवन कुमार बंसल द्वारा दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड,** हेराल्ड हाउस, 5-ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 11002 की ओर से प्रकाशित एवं मुद्रित। दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, हेराल्ड हाउस, 5-ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और दि इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड प्रेस, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा- 201301, उत्तर प्रदेश से मुद्रित।

राज्य 360° उत्तर प्रदेश

डगमगाती नाव में इतने छेद, इसलिए हलकान है भाजपा

हांफते नजर आ रहे कथित ब्रांड मोदी के बल पर जीत की उम्मीद लगाए प्रत्याशी

के. संतोष

यकीन ही नहीं

मतदान समाप्ति की ओर है, तब भी सबसे ज्यादा-80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में पार्टियां ही आश्वस्त नहीं हैं कि वे कहां मजबूत हैं और कहां उनकी जमीन खिसकी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता यह तो मानने ही लगे हैं कि 2019 की तुलना में इस बार दिक्कत है और लगभग हर सीट पर उनके वोट नीचे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 2017 विधानसभा चुनाव में भी था लेकिन उसकी तुलना में इस बार इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत है। पूरे देश में लोग राहुल गांधी की बातें ध्यान से सुन और दोहरा तो रहे ही हैं, यूपी की कई सीटों पर यह भी सुनने में आया कि वोट तो अखिलेश यादव को जा रहे हैं- मतलब, नरेन्द्र मोदी के बरक्स लोग यहां अखिलेश का नाम भी ले रहे हैं।

संविधान बचाने का मुद्दा वोटरों के सिर चढ़कर बोलता दिख रहा है। दरअसल, अन्य भाजपा नेताओं के अलावा अयोध्या से पार्टी सांसद लल्लू सिंह ने भी संविधान बदलने की बात सार्वजनिक तौर पर कही थी। भले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब इसे ढंकने की हरसंभव कोशिश करते हुए कह रहे हों कि सपा और कांग्रेस आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, दलितों में संदेह घर कर चुका है कि संविधान बदलकर आरक्षण समाप्त करने का भाजपा कुचक्र रच रही है।

पहले भाजपा निश्चिंत थी कि बसपा दलित वोट सपा-कांग्रेस की ओर नहीं जाने देगी। 2019 का चुनाव बसपा ने सपा के साथ लड़ा था। तब सपा का वोट बसपा में आसानी से ट्रांसफर हुआ और बसपा को 10 सीटें मिली थीं। लेकिन दलितों का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ था। लेकिन इस बार हालात बदले हैं। बसपा की जमीनी हालत कमजोर है और उसका वोटर कांग्रेस के रूप में अपने पुराने ठौर से साथ खड़े होने में दिक्कत नहीं देख रहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा भी कि बसपा को एक भी सीट नहीं मिल रही। इसलिए बसपा समर्थकों को 'इंडिया' को वोट करना चाहिए क्योंकि यह गठबंधन बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है। साहित्यकार अमित कुमार भी मानते हैं कि 'इस बार बसपा का दलित वोट बंट रहा है। भाजपा की दलित वोटों पर दो चुनावों जैसी हिस्सेदारी नहीं दिख रही और दलितों को कांग्रेस के साथ आने में हिचक नहीं। यह बदलाव वोट में तब्दील हुआ तो भाजपा को यूपी में हाफ होने से कोई नहीं रोक पाएगा।' इस सबसे भाजपा में कितनी बेचैनी है, इसे कुश्ती प्रकरण में खासा बदनाम हो चुके निवर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बात से समझा जा सकता है। इस बार उनका बेटा भाजपा से चुनाव लड़ रहा है। बृजभषण ने वोट डालने के बाद कैसरगंज में कहा कि 'बसपा के वोट सपा में ट्रांसफर हो रहे हैं।' वैसे, उन्होंने यह भी जोड़ा कि 'लेकिन इससे भाजपा को सीटों का नुकसान नहीं होने जा रहा।'

कौन-सी सीट बचेगी

चुनाव घोषित हुए, तब भाजपा को महाबली के तौर पर पेश किया जा रहा था। पर अब खुद भाजपा समर्थक ही चर्चा कर रहे कि पार्टी को यूपी में पिछली बार जैसी सीटें मिलेंगी भी या नहीं। 2019 में भाजपा को 62 सीटें मिली थीं। यह 2014 की तुलना में काफी कम थी। तब पार्टी को 72 सीटें मिली थीं। दरअसल, जमीनी चर्चा यह है कि इस बार 2019 जैसी सीटें लाना भी पार्टी के लिए पहाड़ चढ़ने-जैसा है।

भाजपा को तीन-चार खास वजहों से महिलाओं के वोट मिलने का भरोसा है: कथित ब्रांड मोदी, राम मंदिर और राशन, आवास तथा गैस- मतलब, लाभार्थी। लेकिन भाजपा नेता-कार्यकर्ता इस पर बात भी नहीं करना चाहते कि महंगाई और बेरोजगारी की मार घर के बजट पर किस तरह भारी पड़ रही। रोजगार हर घर को प्रभावित कर रहा है। एक तो नौकरियां काफी कम आ रहीं; दूसरी तरफ, लगातार पेपर लीक ने निराश किया है। वैसे, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से ही नहीं है। प्राइवेट नौकरियां भी प्रदेश में कम हैं क्योंकि तमाम दावों के बावजूद उद्योगों की स्थिति निराशाजनक है। यह बात निचले स्तर पर भी लोग कहते हैं। अब जैसे, सुलतानपुर में दवा कारोबारी विजय पांडेय बताते हैं कि 'सड़कें बेहतर हैं, बिजली मिलती है, कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है लेकिन एक भी इंडस्ट्रियल एरिया न होने से उद्योग नहीं लग पा रहे। जिले की सीमा से गुजर रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने को भूमि चिह्नित हुई लेकिन अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ।' मऊ में हाथ से रेशमी साड़ी बनाने का काम करने वाले गुलाम मंसूर कहते हैं कि 'कोरोना में लौटे तो घर में काम का भरोसा मिला। अब हम पहले से भी अधिक बदतर हालत में हैं।' बीएड कर रहे अजय यादव भी कहते हैं कि 'लोगों को पांच किलो अनाज नहीं, रोजगार चाहिए।' ऐसा ही दर्द हर तरफ दिखता है।

फोटो: गेटी इमेजेज

जुगलबंदी इस बार के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह ताल से ताल मिलाकर काम किया, उसकी गूंज जमीन पर दिखी और भाजपा के पसीने छूट गए।

संघ पर सबकी नजर

यूपी में अब जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, सब पूर्वांचल में हैं और कई मायनों में अहम भी। वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री मोदी मैदान में हैं जबकि यह इलाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह और कर्म क्षेत्र भी है। योगी के सामने गोरखपुर-बस्ती मंडल की 9 सीटों पर पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। 2019 में भाजपा ने इन सभी 9 सीटों पर लंबे अंतर से जीत हासिल की थी।

आरएसएस कार्यकर्ताओं के इस बार ज्यादा सक्रिय नहीं रहने की चर्चा पूरे देश में रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का वह अखबारी इंटरव्यू इन दिनों खूब चर्चा में है जिसमें उन्होंने भाजपा को पहले की तरह अब आरएसएस की मदद की जरूरत न होने की बात कही है क्योंकि 'पार्टी अब सक्षम हो गई है।' यह भी माना जाता है कि 'भगवाधारी' योगी को संघ उस तरह पसंद नहीं करता जिस तरह वह वैसे लोगों की पीठ पर हाथ रखता है जो संघ से निकले हैं। योगी गोरक्षपीठाधीश्वर भले हों, संघ से नहीं निकले हैं। पिछले दिनों यह चर्चा भी जोरशोर से रही है कि अगर मोदी-अमित शाह केन्द्र में दोबारा सत्तासीन होते हैं, तो योगी को मुख्यमंत्री-पद से विदा कर दिया जाएगा। ऐसे में, इस इलाके में संघ की सक्रियता पर सबकी नजर है। संघ के लोग गोलमोल बातों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इस इलाके में संघ से जुड़े एक पदाधिकारी की इस बात का अपने मनमाफिक उत्तर निकालने के लिए हर कोई स्वतंत्र है कि 'हम उसी तरह काम कर रहे जिस तरह देश भर में संघ के लोग करते हैं।'

लेकिन यही नहीं, भाजपा को अंदरूनी कलह से सभी सीटों पर जूझना पड़ रहा है। पार्टी ने कुछ सीटों पर प्रत्याशी तो बदले लेकिन जिन पर फिर दांव लगाया, उनमें से अधिकांश को लोग 'थका चेहरा' बता रहे हैं। मछलीशहर सुरक्षित सीट पर भाजपा के ही पूर्व विधायक हरेन्द्र प्रताप सिंह अपने लोगों से यह कहते सुनाई देते हैं कि सांसद वीपी सरोज ने 1,000 से अधिक सवर्णों पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया है। जौनपुर में पत्रकार कपिल देव मौर्या कहते हैं कि 'पिछली बार महज 182 वोटों से जीत दर्ज करने वाले वीपी सरोज के लिए सवर्ण बिरादरी का वोट हासिल करना आसान नहीं है।' इसी तरह, बस्ती में हैट्रिक की दावेदारी करने वाले हरीश द्विवेदी के इशारे पर हरैया से विधायक अजय सिंह की चुनाव ड्यूटी वाराणसी के लिए लगा दी गई, तो उन्होंने फेसबुक पर लिख दिया 'मैं चला चंदौली। बाबा विश्वनाथ की नगरी में। बाबा विश्वनाथ हम बस्ती वासियों पर कृपा बनाए रखें।' महराजगंज जिले में केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी को अपने ही विधायकों का विरोध झेलना पड़ रहा है। सिसवा से विधायक प्रेम सागर पटेल से पंकज की अनबन जगजाहिर है। पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह का भी पूरा समर्पण नहीं दिखता है। राबर्ट्सगंज सीट पर सांसद पकौड़ीलाल का ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को गाली दिए जाने का कथित वीडियो वायरल होने के बाद अपना दल एस के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं उनकी बहू रिंकी कोल की मुसीबत बढ़ गई है। इस प्रकरण को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. राघवेंद्र प्रताप सिंह इस्तीफा भी दे चुके हैं।

ऐसे में, भाजपा की डगमग नैया कैसे किनारे लगेगी? ■

राज्य 360° ओडिशा

तल्ख रिश्ते बता रहे चुनाव बाद नाटकीय समीकरण संभव

कुछ राज्यों में भाजपा को 2019 जितनी सीटें आने से रहीं और इनकी भरपाई के चक्कर में उसने बीजद से रिश्ते बिगाड़ लिए। इसकी गूंज अभी सुनाई देती रहेगी

आशुतोष मिश्रा

और चौड़ी होगी खाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और नौकरशाह से नेता बने उनके निकट सहयोगी वीके पांडियन पर हाल ही में हमले किए हैं, उससे इन अटकलों को बल मिल रहा है कि अगर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को केन्द्र में तीसरा कार्यकाल मिलता है तो बीजू जनता दल (बीजद) नेताओं के खिलाफ राजनीतिक साजिश शुरू हो सकती है।

राजनीतिक विश्लेषक सबिता मोहंती का कहना है, 'दोनों पार्टियां जिस तरह के तीखे आरोप-प्रत्यारोप में लगी हुई हैं, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि चुनाव में कोई भी जीते, उनके बीच सुलह की संभावना बहुत कम है। तब दोनों के रिश्तों पर हावी होगा प्रतिशोध का भाव।' आम धारणा यह है कि भाजपा ने बीजद के लिए एनडीए में बने रहना लगभग असंभव कर दिया है। दूसरी ओर, कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर संकट की स्थिति आई तो दबाव-धमकी की रणनीति अपनाकर बीजद को एनडीए में बने रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगर भाजपा लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रहती है, तो वह बीजद के समर्थन को हल्के में नहीं ले सकती। 2019 के आम चुनाव में बीजद को राज्यों की 21 लोकसभा सीटों में से 12 और भाजपा को आठ सीटें मिली थीं। 2014 के चुनाव में भाजपा सिर्फ एक सीट जीत सकी थी जबकि बीजद ने बाकी सभी सीटें अपनी झोली में डाल ली थीं। इस बार भाजपा अन्य जगहों पर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्य में अपनी सीटें बढ़ाने के ठोस प्रयास कर रही है और इसी कारण वह राज्य में इस तरह का आक्रामक अभियान चला रही है। दो मुख्य प्रतियोगियों के बीच बढ़ती कड़वाहट के साथ, दोनों दलों के नेताओं के बीच की पुरानी दोस्ती के अब जल्दी अंकुरित होने की संभावना नहीं है। पुराने सहयोगियों के बीच रिश्तों में गिरावट को देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद के राजनीतिक समीकरण में नाटकीय बदलाव आ सकता है।

गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे

लोगों का मानना है कि मोदी और शाह के नेतृत्व वाली सरकार 2012 और 2014 के बीच राज्य में हुए करोड़ों रुपये के खनन घोटाले और पोंजी घोटाले को हवा दे सकती है जिनमें दो विधायकों सहित बीजद के कुछ वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी और इसी कारण उन्हें 2019 के चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने राज्य के अपने हालिया दौरे में एक स्थानीय समाचार चैनल से बात करते हुए घोटाले में शामिल लोगों को जेल भेजने की धमकी दी थी। यह कहते हुए कि भाजपा के घोषणापत्र में साफ कहा गया है कि पोंजी कंपनियों द्वारा ठगे गए लोगों को डेढ़ साल के भीतर उनका पैसा वापस मिलेगा, शाह ने कहा कि 'चिट फंड घोटाले में शामिल लोग जेल जाएंगे।'

चिटफंड कंपनियों ने कथित तौर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों से लगभग 4,600 करोड़ रुपये इकट्ठा किए थे। मई 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर निवेशकों को धोखा देने के लिए सारदा समूह और 44 अन्य चिट फंड कंपनियों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। 2014 में केन्द्रीय जांच एजेंसी ने 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए बांकी के तत्कालीन विधायक प्रभात त्रिपाठी, मयूरभंज के सांसद रामचंद्र हांसदा और पूर्व विधायक सुबर्णा नाइक को गिरफ्तार किया था। बीजद ने सभी को निलंबित कर दिया। 2017 में बीजद के एक और विधायक प्रवत बिस्वाल को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया और उसके तीन साल बाद घोटाले के सिलसिले में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री देबी प्रसाद मिश्रा के घर पर छापा पड़ा।

हालांकि बाद के वर्षों में चिटफंड घोटाले की आंच काफी हद तक कम हो गई जब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए और संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीजद ने एनडीए का समर्थन किया। हालांकि राज्य के भाजपा नेता और कार्यकर्ता बीजद के खिलाफ मामलों को फिर से शुरू होते देखना चाहते हैं क्योंकि इससे क्षेत्रीय पार्टी का पूरी तरह 'पर्दाफाश' हो जाएगा क्योंकि बीजद भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने का दावा करती है।

दागियों की खैर नहीं

10 मई को भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड-शो में शामिल युवा पंचानन पात्रा ने कहा, 'विडंबना है कि जिस पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं, वह नैतिकता की बात करती है, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा कर वोट मांग रही है! एक बार जब हमारी पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो दागी बीजद नेताओं को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।' अगर भाजपा केन्द्र में फिर से सरकार बनाने में कामयाब होती है तो हजारों करोड़ का खनन घोटाला भी पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद के खिलाफ भाजपा के हाथ में एक और हथियार बन सकता है। 2009 में सामने आए इस घोटाले की जांच न्यायमूर्ति एमबी शाह आयोग ने की थी जिसने ओडिशा की खनिज संपदा की लूट पर राज्य के अधिकारियों के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी। इसने सरकार को अवैध खनन में शामिल 100 से अधिक खनिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया। इन पर करीब 68,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। भले ही पटनायक सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाले खनिकों के खिलाफ कार्रवाई की और घोटाले की सतर्कता जांच के आदेश भी दिए लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं था और सीबीआई जांच की मांग करता रहा। विपक्ष का आरोप है कि खनिकों पर जुर्माना दिखावा है।

पटनायक और पांडियन पर हो रहे तल्ख हमलों को देखते हुए माना जा रहा है कि भाजपा और बीजद के बीच तालमेल की संभावना नहीं है। 20 मई को पुरी में रोड-शो के बाद अंगुल और कटक में रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने न केवल राज्य में विकास के बीजद के दावे को खारिज कर दिया बल्कि कहा कि पार्टी ने ओडिशा को 'भूमि माफिया, रेत माफिया, कोयला माफिया और खनन माफिया के अलावा कुछ नहीं दिया है।' उन्होंने पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के खजाने वाले कमरे की गुम चाबी का मुद्दा भी उठाया। तमिलनाडु से आने वाले पांडियन पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, 'लोग कह रहे हैं कि चाबियां तमिलनाडु चली गई हैं। इसे किसने लिया है? जनता उसे माफ नहीं करेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 'कुंजी' का रहस्य सुलझ जाएगा। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह मोदी की गारंटी है।' शाह ने भी पांडियन पर निशाना साधा- 'यह विधानसभा चुनाव ओडिशा के गौरव को बनाए रखने का चुनाव है। क्या कोई तमिल ओडिशा पर शासन कर सकता है? क्या एक तमिल बाबू ओडिशा चला सकता है?' उन्होंने क्योंझर में एक रैली के दौरान कहा कि भाजपा ओडिशा को एक युवा मुख्यमंत्री देगी जो धाराप्रवाह उड़िया बोलता हो। पांडियन ने ओडिशा में भाजपा के स्टार प्रचारकों को 'राजनीतिक पर्यटक' करार दिया।

इस बार क्या? अब तक तो भाजपा और नवीन पटनायक गलबहियां डाले रहते थे लेकिन इन चुनावों में दोनों के बीच तलवारें खिंची रही। इसके दूरगामी असर भी हो सकते हैं।

पात्रा की जुबान फिसली

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उसके पुरी लोकसभा उम्मीदवार संबित पात्रा की जुबान फिसल गई। 20 मई को पुरी में प्रधानमंत्री के रोड-शो के मौके पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, पात्रा ने मोदी को भगवान जगन्नाथ का भक्त बताने की जगह भगवान जगन्नाथ को मोदी का 'भक्त' बोल गए। बाद में उन्होंने गलती के लिए खेद जताया और कहा कि वह तीन दिनों तक उपवास करके प्रायश्चित करेंगे। इस पर पांडियन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि 'भाजपा प्रवक्ता को ठीक से खाना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। (25 मई को) चुनाव से पहले उन्हें बेहोश नहीं होना चाहिए। वह एक डॉक्टर हैं, उन्हें पता होगा कि क्या करना है।'

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक्स पर पोस्ट में उड़िया 'अस्मिता' को ठेस पहुंचाने के लिए पात्रा की आलोचना की। उन्होंने पोस्ट पर लिखा- 'महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी हैं। महाप्रभु को किसी अन्य इंसान का 'भक्त' कहना भगवान का अपमान है... यह निंदनीय है। इससे दुनिया भर में श्री जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है।' ■

लोकतंत्र का भट्ठा बैठा दिया चुनाव आयोग ने

मौजूदा चुनाव आयोग का कामकाज अब तक के सभी चुनाव आयोगों से बुरा है। लोकतंत्र की बुनियाद का इस तरह कमजोर हो जाना बेहद चिंताजनक

पलनिवेल त्यागराजन

एक व्यावहारिक लोकतंत्र का प्राण होता है चुनावों का न्यायपूर्ण संचालन। यहां तक कि संविधान सभा में हुई बहस के दौरान चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता को मौलिक अधिकार बनाने का प्रस्ताव भी आया था।

इससे पहले के चुनाव आयोगों के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव होता था और यकीनन राज्य और केन्द्र सरकारें आचार संहिता से जुड़ी बातों पर अमल करती थीं। यह निष्पक्ष हुआ करता था और इससे लोगों का व्यवस्था में भरोसा होता था। आज स्थिति यह है कि ईवीएम को लेकर संदेह आयोग द्वारा यह नहीं बताने से और बढ़ गया है कि ईवीएम के कंपोनेंट को कौन बनाता है, उसका सोर्स कोड क्या है वगैरह-वगैरह। ईवीएम की जांच करना विवादों का पिटारा खोलने जैसा है: छेड़छाड़ का मुद्दा, स्ट्रांगरूम में उनके भंडारण से समझौता, ईवीएम के खो जाने/बदले जाने की घटनाएं, ईवीएम का सत्तारूढ़ दल के लिए दो वोट दर्ज करना जबकि केवल एक वोट पड़ा, और वीवीपैट रसीदों का ईवीएम से मिलान करने से इनकार करना जैसे तमाम मुद्दे हैं जो चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बनाते हैं।

एक राजनीतिक दल के लिए बड़ा जरूरी होता है कि उसके काउंटिंग एजेंट अच्छी तरह से तैयार और पर्याप्त प्रशिक्षित हों। केवल प्रशिक्षित काउंटिंग एजेंट ही अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा सकते हैं। एजेंट ठीक तरीके से काम कर सकें, इसके लिए जरूरी होता हो कि उनके पास हर बूथ और उसके ईवीएम से संबंधित फॉर्म-17 में सटीक जानकारी हो- जिसमें ईवीएम की पहचान संख्या, डाले गए कुल वोट वगैरह हों। यह उम्मीदवार का काम है कि वह अपने काउंटिंग एजेंटों को सारी जानकारी उपलब्ध कराए ताकि हेरफेर-मुक्त गिनती सुनिश्चित हो सके।

प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वोट (ईवीएम और डाक) जिनकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना के दिन दी जाती है, को एकत्र किया जाता है और 'फॉर्म-20' में घोषित किया जाता है जो चुनाव प्रक्रिया का आधिकारिक परिणाम है। फॉर्म-17 डेटा (मिले मत) का प्रकाशन बंद करने का चुनाव आयोग का फैसला निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा पर एक अक्षम्य हमला है।

प्रत्येक ईवीएम में डाले गए मतों की संख्या पर आम सहमति के बिना यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है कि गिने गए वोट उतने ही हैं जितने मतदान के दिन वोट डाले गए। अब यह प्रत्येक उम्मीदवार पर निर्भर करता है कि वह हर बूथ से फॉर्म-17 इकट्ठा करने के लिए अपनी स्वयं की टीम रखे और इसे जांच-परख और मिलाकर काउंटिंग एजेंट को उपलब्ध कराए। उसके बाद ही काउंटिंग एजेंट यह सुनिश्चित कर सकता है कि सही ईवीएम (क्रम संख्या का मिलान) से गिनती की जा रही है और कुल गिने गए वोट उतने ही हैं जितने उस बूथ पर वास्तव में मतदान के दिन डाले गए थे।

पैमाने और इस प्रक्रिया से जुड़ी जटिलताओं को देखते हुए छोटी पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी आम तौर पर नुकसान में रहते हैं क्योंकि सटीकता की जांच करने और किसी भी विसंगति की स्थिति में उन्हें विरोध करना होता है। और फिर जो दल सत्ता में होता है, उसके द्वारा मतगणना में हेरफेर की आशंका काफी अधिक होती है। इनके अलावा, छोटे पैमाने पर हेरफेर का एक और तरीका होता है।

पोस्टल वोट में हेरफेर: जहां जीत का अंतर कम होता है, नतीजों में हेरफेर अक्सर पोस्टल वोटों की गिनती के माध्यम से किया जाता है जैसा कि हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिखा। इसके सबसे गंभीर उदाहरणों में से एक है भाजपा के केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र सिंह चुडास्मा का ढोलका विधानसभा

सीट पर कांग्रेस के अश्विन राठौड़ के खिलाफ 327 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल करना क्योंकि 429 पोस्टल वोटों को रिटर्निंग ऑफिसर धवल जानी ने अमान्य कर दिया था। चुडास्मा जब राजस्व मंत्री थे, तब धवल उनके मातहत काम कर चुके थे। इसलिए चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि डाक मतपत्रों की गिनती पहले की जाए और ईवीएम की गिनती डाक मतों की गिनती शुरू होने के आधे घंटे बाद, हालांकि आयोग के इस निर्देश का बहुत बार पालन नहीं भी किया जाता है।

एक और संरचनात्मक खामी: एक बार जब मतगणना केन्द्र पर रिटर्निंग अधिकारी सफल उम्मीदवार को चुनाव का प्रमाणपत्र (फॉर्म 22) जारी कर देता है, उसके बाद चुनाव को केवल अदालत में चुनौती दी जा सकती है जिसमें सालों लग सकते हैं और इसलिए इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। वोटों की गिनती में हारने के बावजूद सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार को प्रमाणपत्र जारी करने के उदाहरण बताते हैं कि अंतिम क्षण में भी कैसे नतीजों में हेरफेर किया जा सकता है।

चुनाव याचिकाएं: अदालत में दायर चुनाव याचिकाओं का क्या होता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86(6) और 86(7) हाईकोर्ट से अपेक्षा करती है कि वह अंतिम नतीजे पर पहुंचने तक चुनाव याचिका की सुनवाई हर दिन करे (जहां भी व्यावहारिक रूप से संभव हो) और सुनवाई को खत्म करने के लिए छह माह की समय सीमा निर्धारित करती है। हालांकि चुनाव याचिकाओं पर अक्सर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है और कई याचिकाएं बेकार हो जाती हैं। चुनावी तंत्र को ठीक करना: चुनाव आयोग अपने वर्तमान स्वरूप में बेहद अक्षम और पक्षपातपूर्ण है। चुनावी प्रक्रिया पहले से ही कमजोर थी, और मौजूदा चुनाव आयुक्तों के पक्षपातपूर्ण रुख ने इसे और भी बेकार बना दिया है। यह आयोग की अक्षमता का ही नतीजा है कि अभूतपूर्व गर्मी के बीच चुनाव ढाई महीने तक चला। ऐसे आयोग को एक राष्ट्र, एक चुनाव कराने के मामले में राय देना है! आखिर चुनाव प्रक्रिया पर कितना समय, ऊर्जा और संसाधन

जहां जीत का अंतर कम होता है, नतीजों में हेरफेर अक्सर पोस्टल वोटों की गिनती से किया जाता है जैसा कि हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिखा। इसके सबसे गंभीर उदाहरणों में से एक है भाजपा के केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र सिंह चुडास्मा का ढोलका विधानसभा सीट पर कांग्रेस के अश्विन राठौड़ के खिलाफ 327 वोटों के अंतर से जीतना क्योंकि 429 पोस्टल वोटों को रिटर्निंग ऑफिसर ने अमान्य कर दिया था

लगाना होगा जिससे यह विश्वसनीय बन सके? इनमें से कुछ समस्याओं को तो आसानी से दूर किया जा सकता है, जैसे चुनाव आयोग का बेहतर तकनीक में निवेश करना, सटीकता के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना, रैंडम नमूने की जगह 100 फीसद वास्तविक डेटा रिपोर्टिंग को अमल में लाना, कार्यबल का विस्तार और उन्हें पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करना और आंकड़ों को प्रक्रिया के बिल्कुल शुरुआती चरण से ही मिलाते रहना ताकि कहीं कोई गड़बड़ी होते ही पता चल सके।

[...]

80 साल पहले चुनाव आयोग का स्टाफ तंत्र कैसा हो, इसकी कल्पना करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा था, 'सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग के पास अपना स्वतंत्र स्टाफ रखने का अधिकार होना चाहिए ताकि वह सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा कर सके? यह महसूस किया गया कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी, वोटर सूची के पुनरीक्षण, चुनावों के संचालन आदि करने के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी रखने की अनुमति देने पर अनावश्यक प्रशासनिक व्यय होगा जिसे आसानी से टाला जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा है, चुनाव आयोग का काम एक समय तो बहुत अधिक होगा जबकि बाकी समय उसके पास कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए, हमने खंड (5) में प्रावधान किया है कि आयोग को अपना कामकाज पूरा करने के लिए प्रांतीय सरकारों से ऐसी लिपिकीय और मंत्रालय के कर्मचारियों को उधार पर लेने का अधिकार होना चाहिए और जब आयोग का काम खत्म हो जाए, तब वे कर्मचारी अपने काम पर लौट जाएं। इसमें संदेह नहीं कि जब तक वह कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन काम करेगा, वह प्रशासनिक रूप से आयोग के प्रति जिम्मेदार होगा, न कि कार्यकारी सरकार के प्रति।'

अतिरिक्त व्यय और प्रशासनिक मशीनरी के दोहराव के बारे में डॉ. आंबेडकर की चिंताएं एक नए राष्ट्र की सीमाओं के अनुरूप थीं। लेकिन तब स्थिति और थी और आज कुछ और है। पहले आम चुनाव में एक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की औसत संख्या लगभग चार लाख थी; अब यह 15 लाख से ऊपर है। दस लाख से अधिक बूथ 96.9 करोड़ मतदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, चुनाव अब त्रि-स्तरीय (संसद, राज्य विधानसभाएं, स्थानीय निकाय) होते हैं और यह साल भर चलने वाली प्रक्रिया हो गई है।

शिकायत तंत्र और पक्षपातपूर्ण आयोग: पार्टियां अक्सर हर स्तर पर चुनाव आयोग के पक्षपात की शिकायत करती हैं- राजनीतिक विज्ञापनों और खर्चों की निगरानी, शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई, चुनाव चिह्न आवंटित करना आदि। (जब डीएमके विपक्ष में थी, तब राज्य-व्यापी विज्ञापन अभियान चलाते समय मुझे खुद पहली बार इसका सामना करना पड़ा था।) हाल ही में चुनाव आयोग ने आआपा के आधिकारिक कैंपेन गीत पर इस बहाने से प्रतिबंध लगा दिया कि इसमें 'सत्तारूढ़ पार्टी और उसकी एजेंसियों को खराब रोशनी' में दिखाया गया है। दूसरी ओर, जब भाजपा ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का खुलाआम अभियान चलाया या जब उसने कांग्रेस के घोषणापत्र के बारे में अफवाहें फैलाईं, तो आयोग ने आंखें मूंद लीं।

जब राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण के बारे में चुनाव आयोग को शिकायतें की गईं क्योंकि इससे यह गलत धारणा पैदा हो रही थी कि लोगों की मेहनत की कमाई और महिलाओं के मंगलसूत्र को 'धन पुनर्वितरण' के नाम पर छीनकर 'घुसपैठियों' और 'जिनके अधिक बच्चे हैं' उन्हें सौंप दिया जाएगा, तो आयोग ने मोदी को नहीं बल्कि भाजपा प्रमुख जे.पी.नड्डा को नोटिस भेजने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे चरण की पूर्व संध्या पर राम मंदिर का दौरा किया जिससे उनकी हताशा और आदर्श आचार संहिता के प्रति उनकी उपेक्षा- दोनों का पता चला। यह याद रखा जाना चाहिए कि लिब्रहान अयोध्या जांच आयोग ने चुनाव आयोग से सिफारिश की थी कि 'धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करने का प्रयास, या मतदाताओं से धर्मपरायणता के आधार पर अपील करने, या पूजा स्थलों पर चुनावी रैलियां आयोजित करने पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और इसके लिए उम्मीदवार को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।'

आज ठीक इसका उलटा हो रहा है- सत्तारूढ़ पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर तीसरा कार्यकाल पाने की कोशिश कर रही है, खुद प्रधानमंत्री लगातार नफरती और सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं और चुनाव आयोग है कि मूक दर्शक बना हुआ है। हमने लोकतंत्र की आधार चुनावी प्रक्रिया पर पर्याप्त ध्यान, धन या समय नहीं दिया। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की धारणा न केवल एक संवैधानिक उपहास है बल्कि एक विचित्र कल्पना है। मौजूदा तीन चुनाव आयुक्तों ने अपने पूर्वाग्रहों से आयोग की हत्या कर डाली है। उन्होंने मुसलमानों को खुल्लमखुल्ला निशाना बनने दिया (अजमेर, 6 अप्रैल; नवादा, 7 अप्रैल; पीलीभीत, 9 अप्रैल; बांसवाड़ा, 29 अप्रैल), उन्होंने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा घोषित रियायतों के प्रति आंखें मूंद लीं और उनपर सूरत, इंदौर और गांधीनगर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बंधक बना लिए जाने का असर नहीं पड़ा।

पहले चरण में मतदान के 11 दिन बाद अंतिम मतदान प्रतिशत जारी किया जाता है जो लगभग 5.5 फीसद अधिक होता है और वैसे ही दूसरे चरण का मतदान भी 5.74 प्रतिशत बढ़ जाता है। ये बेहद संदिग्ध आंकड़े हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव आयोग का कामकाज बड़ी मुश्किलों से हासिल भारत के लोकतंत्र में आई भयानक गिरावट को दिखाता है। ■

पेज 1 से जारी

पलनिवेल त्यागराजन तमिलनाडु में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा मंत्री हैं। यह लंबा लेख पहले 'फ्रंटलाइन' पत्रिका में छपा।

Nehru centre

नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम

वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर
मुंबई के हृदयस्थल में,
बीकेसी से सटे,
एयरपोर्ट के पास

इन सबके लिए सर्वोत्तम:
- कॉरपोरेट/एचआर मीटिंग, सेमिनार या ट्रेनिंग सेशंस
- व्याख्यान
- बुक लॉन्च/ बुक रीडिंग
- पैनल डिस्कशन
- साहित्यिक/सांस्कृतिक कार्यक्रम

ऑडिटोरियम उपलब्ध है
-पूरा दिन सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे
-आधा दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे या शाम 4 बजे से शाम 8 बजे

बुकिंग के लिए कृपया संपर्क करें: +91 22-26470102, 8482925258
या हमें लिखें: contact@nehrucentre.com
नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम, दूसरा फ्लोर, एजेएल हाउस, 608/1ए, प्लॉट नं. 2,
एस. नं. 341, पीएफ ऑफिस के पास, बांद्रा, मुंबई- 400051

चुनाव बाद एक और यू-टर्न ले सकते हैं नीतीश

'इंडिया' गठबंधन में एक मजबूत आवाज होते नीतीश, एक गलत यू-टर्न ने जद(यू) को भी अस्तित्व के संकट में डाल दिया

सुरूर अहमद

गायब वह हौसला

जबकि स्वतंत्र पर्यवेक्षक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासी पारी के खत्म हो जाने का ऐलान कर रहे थे, 13 मई को नीतीश के पुराने साथी पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन की खबर आई। दोनों ने 11 साल तक साथ-साथ काम किया और राज्य में जद(यू)-भाजपा सरकार के केन्द्र में रहे। उनका साथ केवल एक बार 16 जून, 2013 और 26 जुलाई, 26, 2017 के बीच चार साल के लिए नहीं रहा। जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी को किनारे किया गया और अरुण जेटली का निधन हुआ, इन दोनों की जोड़ी को भी भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व संदेह की नजरों से देखने लगा।

सुशील मोदी के निधन से एक दिन पहले 12 मई को नीतीश पटना में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड-शो में शामिल हुए थे। दोनों बेहद असहज लग रहे थे। जीप में मोदी स्टूल पर खड़े थे जिससे वह लंबे दिख रहे थे। नीतीश साफ तौर पर अनमने दिख रहे थे। आम लोगों को रोड-शो से खासी परेशानी हुई और नीतीश अगर अपने पुराने दिनों में होते तो इसे रोक देते। लोगों को आज भी याद है कि कैसे उन्होंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेन्द्र मोदी को भोज का न्योता देकर उसे कैंसल कर दिया था। कैसे नीतीश ने मोदी द्वारा बाढ़ राहत के लिए भेजे गए पांच करोड़ रुपये के चेक को वापस कर दिया था। अब वह नीतीश नहीं दिखते।

मोदी हाल ही में दूसरी बार वापस पटना आए थे और उन्होंने दूसरा 'रोड-शो' किया। इस बार यह सोमवार को हुआ और लोगों को खासी दिक्कतें हुईं। पीएम का दावा था कि इस बार वह सुशील मोदी के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए थे। सुशील मोदी के निधन के अगले दिन खबर आई कि नीतीश बीमार पड़ गए हैं और इसीलिए वह सुशील मोदी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। इसी दिन उनकी पत्नी की बरसी थी और वह उसमें शामिल होने अपने पैतृक गांव भी नहीं जा सके।

जद(यू) के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हैं। आम लोगों से लेकर नेताओं के बीच समान रूप से चर्चा है कि पाला बदलने की घटनाओं से भरा उनका पांच दशक लंबा राजनीतिक सफर अपने दुखद और अपमानजनक अंत के करीब है। तमाम क्षेत्रीय दलों के विपरीत नीतीश ने अपने परिवार से किसी को अपना उत्तराधिकार नहीं बनाया है। इतना जरूर है कि अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने कम-से-कम पांच करीबी सहयोगियों को पार्टी में 'नंबर-2' कहकर या फिर एक सक्षम नेता कहकर प्रचारित किया जिसके हाथों में पार्टी सुरक्षित रहेगी; ये थेः यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी से नेता बने आर सी पी सिंह, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा, मुंगेर के सांसद ललन सिंह और कुछ समय के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव भी। लेकिन इन सभी को अजीबो-गरीब तरीके से किनारे लगा दिया गया।

असुरक्षा की भावना

समकालीन बिहार की राजनीति पर किताब लिखने वाले एक व्यक्ति ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, 'नीतीश असुरक्षा से ग्रस्त रहे हैं। उन्होंने किसी को भी ऊपर उठने नहीं दिया। बिगड़ती सेहत की वजह से उनकी याददाश्त अब कमजोर हो गई है और वह कहीं अधिक असुरक्षित हो गए हैं।'

नीतीश ने हिन्दी दैनिक 'प्रभात खबर' के तत्कालीन प्रधान संपादक हरिवंश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया और बाद में जब भाजपा ने हरिवंश को राज्यसभा में उपसभापति बनाया तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। नीतीश ने संजय झा को भी राज्यसभा भेजा जो कभी अरुण जेटली के करीबी रहे थे। नीतीश के ही गृह जिले नालंदा के कुर्मी आर सी पी सिंह को सालों तक नीतीश का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। यूपी कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी सिंह मुख्यमंत्री कार्यालय का कामकाज संभालते थे और उन्हें 'असली' मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता था। 2018 में प्रशांत किशोर को जनता

संभावना जद(यू) को इसका अच्छी तरह अहसास हो गया है कि सब कुछ गड़बड़ा चुका है और संभावनाएं विपरीत हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अगर फिर से यू-टर्न ले लें, तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा।

दल(यू) का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कैबिनेट रैंक के साथ उन्हें मुख्यमंत्री के बगल वाला बंगला आवंटित किया गया था। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया था कि पार्टी का भविष्य किशोर के हाथों में सुरक्षित है। लेकिन यह गर्माहट ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी और जनवरी, 2020 में प्रशांत किशोर और पार्टी के महासचिव, पूर्व राजनयिक पवन वर्मा को जद(यू) से निकाल दिया गया। प्रशांत अब नीतीश कुमार के धुर आलोचक बन गए हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि दोनों अलग क्यों हुए।

2020 के विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाद उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जद(यू) के साथ कर लिया और उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें भी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया गया था लेकिन जब 9 अगस्त, 2022 को नीतीश ने एक बार फिर एनडीए छोड़कर राजद से हाथ मिला लिया, तो कुशवाहा ने भी अपनी राहें अलग कर लीं। नीतीश तब सार्वजनिक रूप से तेजस्वी को महागठबंधन का भविष्य बताने लगे थे। बमुश्किल कुछ महीने पहले ही पटना में 'इंडिया' गठबंधन की पहली बैठक आयोजित करने के बावजूद इसी साल जनवरी में वह एक बार फिर से गठबंधन छोड़कर एनडीए में लौट आए। इस घटनाक्रम से एक महीने पहले उन्होंने मौजूदा सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के इस्तीफे के बाद पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला था। ललन सिंह इस बार मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं।

अंत की ओर सियासी पारी

पटना स्थित ए एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के पूर्व निदेशक डी एम दिवाकर जद(यू) और भाजपा के विलय की संभावनाओं से इनकार करते हैं। जद(यू) कोई संगठन आधारित पार्टी नहीं है और बीतें चुनावों के लिए वह परंपरागत रूप से भाजपा के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं पर निर्भर रही है। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि भाजपा के लिए 2025 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से पहले जद(यू) को निगल जाना आसान होगा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का भी मानना है कि जद(यू) वेंटिलेटर पर है और उसकी सांसें ज्यादा दिन नहीं चलने वालीं। लालू यादव को 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने में जिन लोगों ने मदद की थी, उनमें नीतीश भी थे। जद(यू) के विभाजन और इसके एक वर्ग का भाजपा और दूसरे वर्ग के राजद के साथ जाने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

एक समय के ताकतवर और प्रमुख क्षत्रप का तेजी से पतन नाटकीय रहा है। अंदरूनी सूत्र इसके लिए उस मंडली को दोषी ठहराते हैं जिसने उन्हें इस साल जनवरी में 'इंडिया' गठबंधन से रिश्ते तोड़ने के लिए राजी किया था। नीतीश को समझाया गया कि ऐसे समय जब राम मंदिर के सभी चुनावी मुद्दों पर हावी रहने की संभावना है, जद(यू) को जिंदा रहने के लिए भाजपा के साथ जुड़ जाना चाहिए। मंडली के कुछ सदस्यों जिनमें मंत्री भी शामिल थे, को आशंका थी कि उनके खिलाफ केन्द्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार के लिए जांच कर सकती हैं जबकि कुछ को भाजपा के साथ जाना इसलिए भी सही लग रहा था कि चुनाव के समय संसाधन की व्यवस्था करना आसान होगा। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह एक खराब फैसला था। नीतीश अगर 'इंडिया' गठबंधन में होते तो एक ताकतवर आवाज होते, उन्हें एक संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता लेकिन बीच में ही पाला बदलने से उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो खोई ही, उन्हें इससे कहीं अधिक नुकसान होने जा रहा है। अगर राज्य में जद(यू) और एनडीए को गंभीर हार का सामना करना पड़ा, तो उससे पार्टी का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा और उनके राजनीतिक भविष्य को जो नुकसान होगा, वह अलग।

बहरहाल, बहुत कुछ 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। वैसे, अटकलें तेज हैं कि चुनाव के बाद जब भाजपा की सौदेबाजी की स्थिति खो देगी, तब नीतीश कुमार एक और यू-टर्न ले सकते हैं। जद(यू) नेता बेशक मजबूती से चुनावी मोर्चा थामे दिखने की कोशिश करें लेकिन उन्हीं में से एक ने निजी तौर पर कहा, 'सब गड़बड़ हो गया। संभावना ठीक नहीं है।' ■

राज्य 360° चंडीगढ़ पंजाब

'दोस्तों' के बीच मुकाबले में कांग्रेस की संभावनाएं बेहतर

किसानों के विरोध और शिरोमणि अकाली दल के अलग होने से भाजपा का खाता खुलना भी मुश्किल, कई सीटों पर कट्टरपंथी भी दे रहे चुनौती

हरजेश्वर पाल सिंह

चार-कोणीय मुकाबला

विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक और शानदार जीत के दो साल बाद राज्य में पारंपरिक दो या तीन ध्रुवीय मुकाबलों का सिलसिला खत्म हो गया है। इस बार यहां मुकाबला चार-कोणीय है- आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच। संगरूर, बठिंडा और खडूर साहिब जैसे कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कट्टरपंथियों सिमरनजीत सिंह मान, लाखा सिधाना और अमृतपाल सिंह के चुनाव मैदान में खड़े होने से यहां तो मुकाबला पांच-कोणीय हो गया है।

इस बार पंजाब में लोकसभा चुनाव की एक और खासियत दलबदलुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि है। पंजाब के नेताओं की तुलना अक्सर तितलियों से की जाती है जो एक 'फूल' से दूसरे 'फूल' पर मंडराती रहती हैं। इससे कोई भी दल अछूता नहीं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गुरप्रीत जीपी, राज कुमार चब्बेवाल और पवन कुमार टीनू की सेवाएं हासिल की हैं। वहीं, कांग्रेस यामिनी गोमर जैसे पूर्व आम आदमी पार्टी नेताओं को आकर्षित करने में सफल रही है जबकि अकाली दल पूर्व कांग्रेसी महिंदर सिंह केपी को अपने खेमे में ले आई है। हालांकि यह भाजपा है जिसने सबसे ज्यादा दलबदलुओं को मैदान में उतारा है- सुशील कुमार रिंकू (जालंधर), रवनीत बिट्टू (लुधियाना), परनीत कौर (पटियाला), परमपाल कौर (बठिंडा), मनदीप मन्ना (खडूर साहिब)।

ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ नाराजगी साफ दिखती है। एमएसपी और कर्ज राहत के लिए प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसानों पर हरियाणा की भाजपा सरकार ने जैसा दमन किया, उससे किसानों का गुस्सा भाजपा पर फूट रहा है। परनीत कौर (पटियाला), हंस राज हंस (फरीदकोट), तरणजीत सिंह संधू (अमृतसर) और रवनीत बिट्टू (लुधियाना) सहित सभी भाजपा उम्मीदवारों को मुखर विरोध का सामना करना पड़ा और किसानों ने उन्हें भगा दिया।

सिर उठा रहे कट्टरपंथी

कट्टरपंथियों की लगातार बढ़त इन चुनावों की एक और खासियत है। 2022 में संगरूर उपचुनाव के दौरान सिमरनजीत सिंह मान की आश्चर्यजनक जीत कट्टरपंथियों के लिए बड़ी सफलता थी। उदारवादी शिअद (बादल) का पतन, दीप सिद्धू और अमृतपाल सिंह की करिश्माई जोड़ी का उदय, बेचैन युवा और ध्रुवीकरण करने वाले सोशल मीडिया के प्रभाव ने मिलकर कट्टरपंथियों को प्रेरित किया। कम-से-कम तीन सीटों- संगरूर (सिमरनजीत सिंह मान), बठिंडा (लाखा सिधाना) और खडूर साहिब (अमृतपाल सिंह) पर उन्हें अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। अमृतपाल सिंह के पक्ष में सहानुभूति की 'लहर' की भी संभावना है जिन्हें खालिस्तान समर्थन के लिए गिरफ्तार कर सुदूर असम की जेल में रख दिया गया था।

2022 के राज्य विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 42 फीसद, कांग्रेस को 23 फीसद, अकाली दल को 20 फीसद और भाजपा को 8 फीसद वोट मिले थे, हालांकि बाद के उप-चुनावों में भाजपा का वोट प्रतिशत बेहतर हुआ, अकाली दल का गिरा, कांग्रेस का वोट शेयर स्थिर रहा जबकि आम आदमी पार्टी की स्थिति उतार-चढ़ाव भरी रही।

2022 में कृषि कानूनों को लागू करने के लिए भाजपा, उनका समर्थन करने के लिए शिरोमणि अकाली दल और अपने कमजोर शासन के लिए कांग्रेस के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेतृत्व- दिल्ली में केजरीवाल और राज्य में भगवंत मान- की विश्वसनीयता अधिक है। सस्ती बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के 'दिल्ली मॉडल' के वादे के साथ चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी को पंजाब ने हाथों-हाथ लिया और इसके अपरीक्षित और ताजा चेहरों को अधिक विश्वसनीय माना गया है।

असंतोष के बाद भी मजबूत

2024 में स्थिति अलग है। किसी भी पार्टी के पक्ष में कोई स्पष्ट लहर नहीं है। आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करने और राज्य की सभी 13 सीटें जीतने का दावा कर रही है। उसे भगवंत मान की लोकप्रियता, मुफ्त बिजली जैसे कदमों, अपने प्रचार मॉडल के अलावा मतदाताओं तक अपना संदेश ले जाने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। पार्टी को यह भी उम्मीद है कि बहुकोणीय मुकाबलों में उसे विपक्षी वोटों में विभाजन से मदद मिलेगी। यह अभियान अरविंद केजरीवाल की कैद के विरोध में 'संसद च वी भगवंत मान' (संसद में भी भगवंत मान) और 'जुल्म दा जवाब वोट नाल' (जुल्म का जवाब वोट से) के नारे के इर्द-गिर्द घूम रहा है।

हालांकि इसके दिल्ली के लगभग पूरे नेतृत्व की गिरफ्तारी ने जरूर इसकी रफ्तार को कम कर दिया है। इसके विधायकों का संतोषजनक काम न कर पाना और इसका अपेक्षाकृत नया संगठन इसके लिए चिंता के सबब बने हुए हैं। मादक पदार्थों की तस्करी, कानून-व्यवस्था और रेत-खनन के मुद्दों से निपटने में इसकी विफलता साफ नजर आती है। चुनावी वादों को पूरा न करने को लेकर किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों का एक वर्ग भी इसके खिलाफ है। हेलीकॉप्टर की सवारी, निजी जेट किराये पर लेने और राज्य के बाहर विज्ञापन जारी करने पर लोगों के पैसे को खर्च करके अपनी छवि सुधारने की कोशिशों का भी लोगों पर गलत असर पड़ा है। जबकि शराब घोटाले ने ईमानदारी और 'कट्टर ईमानदार' होने के उसके दावों को नुकसान पहुंचाया है। फिर भी पार्टी लगभग सभी सीटों पर मजबूत स्थिति में है और खास तौर पर फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब और होशियारपुर में।

बढ़ा आत्मविश्वास यह अनायास नहीं है कि पंजाब में कांग्रेस के लिए संभावनाएं ज्यादा मजबूत लग रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर उसका आत्मविश्वास से लबरेज होना माना जा रहा है।

कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज

कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी हुई है और उसे 2019 का प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है जब उसने 13 में से 8 लोकसभा सीटें जीती थीं। राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा', 'लोकतंत्र और संविधान पर खतरा' से जुड़े उनके अभियान और गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और युवाओं के लिए 'पांच न्याय' के वादे से उत्साहित पंजाब कांग्रेस का मानना है कि आकर्षक घोषणापत्र और विश्वसनीय उम्मीदवार इसे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। पटियाला से डॉ. धर्मवीर गांधी और संगरूर से सुखपाल खैरा को मैदान में उतारने से पार्टी को मजबूती मिली है जबकि चरणजीत चन्नी (जालंधर), राजा वारिंग (लुधियाना) और सुखजिंदर रंधावा (गुरदासपुर) जैसे मजबूत नेता भी इसकी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं।

दूसरी ओर, कई कांग्रेसी नेता सतर्कता जांच का सामना कर रहे हैं और राहुल गांधी द्वारा पार्टी की नई छवि बनाने की कोशिशों के बावजूद कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली कमजोर सरकार की यादों ने इसके लिए समस्याएं बढ़ा दी हैं। फिर भी कांग्रेस के पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की संभावना है।

संभल नहीं पा रही शिअद

सुखबीर बादल के नेतृत्व में पंजाब की 100 साल पुरानी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) पिछले दस सालों से संघर्ष कर रही है और लगातार अपना सामाजिक आधार और प्रासंगिकता खो रही है। सुखबीर बादल ने 'पंजाब बचाओ यात्रा' के साथ पार्टी में नई जान फूंकने और सुखदेव सिंह ढींडसा और बीबी जागीर कौर जैसे टकसाली अकालियों के साथ मतभेद दूर करने की कोशिश की। उन्होंने भाजपा से हाथ न मिलाकर अपनी धूमिल साख को सुधारने की कोशिश भी की। पवन कुमार टिन्नू, मलूका परिवार, तलबीर गिल जैसे क्षत्रपों के पार्टी छोड़ने और शिअद गढ़ों में कट्टरपंथियों के सिर उठाने का मतलब है कि पार्टी के अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है। सिकुड़ते सामाजिक आधार और पंजाबी, सिख और किसानों की पार्टी होने की अपनी पहचान के क्षरण के साथ शिअद ने हरसिमरत बादल (बठिंडा), प्रेम सिंह चंदूमाजरा (आनंदपुर साहिब, अमृतसर) और विरसा वल्टोहा (खडूर साहिब) जैसे मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, फिर भी, उसके लिए उम्मीदें केवल अपने आखिरी गढ़-बठिंडा से ही हैं। 2020 में कृषि कानूनों के कारण शिअद से नाता टूटने के बाद से भाजपा ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। संगरूर और जालंधर के उप-चुनावों में इसकी स्थिति कुछ बेहतर हुई। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे जाट नेताओं को थोक में शामिल करके पार्टी को एक क्षेत्रीय रंग-रूप देने की भी कोशिश की। इसने 'गुरु तेग बहादुर' के बलिदान को याद करके और 'वीर बाल दिवस' मनाकर सिखों को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की। इसके अलावा भाजपा को राम मंदिर के नाम पर ऊंची जाति के हिन्दुओं के समर्थन, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और मुफ्त राशन, सिलेंडर और पक्के मकान जैसी केन्द्रीय योजनाओं का फायदा मिलने की उम्मीद है, हालांकि किसानों के विरोध ने भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अपने सहयोगी शिअद का साथ न मिलने के कारण इस बार भाजपा के लिए पंजाब एक बहुत ही मुश्किल राज्य बन गया है और उसे गुरदासपुर और होशियारपुर जैसे अपने गढ़ों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि इस बार भाजपा का पंजाब में खाता खुल जाना ही बड़ी बात होगी। किसी भी पार्टी के लिए लोगों में उत्साह बहुत कम दिख रहा है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होता दिख रहा है जबकि कुछ सीटों पर शिअद और कट्टरपंथी सिख भी चुनौती दे रहे हैं। ■

अचानक आई आपदा नहीं, प्रक्रिया है जनतंत्र का लोप

एक आराध्य का चुनाव भीड़ को जन्म देता है। एक नेता में आस्था जिससे कोई सवाल नहीं किया जा सकता, जिसकी सिर्फ जयकार ही की जा सकती है

अपूर्वानंद

मैं
क्या कर रहा था
जब सब जयकार कर रहे थे?
मैं भी जयकार कर रहा था-
डर रहा था, जिस तरह सब डर रहे थे।
मैं क्या कर रहा था
जब सब कह रहे थे,
'अज़ीज़ मेरा दुश्मन है?'
मैं भी कह रहा था, 'अज़ीज़ मेरा दुश्मन है।'
मैं क्या कर रहा था
जब सब कह रहे थे, 'मुंह मत खोलो?'
मैं भी कह रहा था, 'मुंह मत खोलो
बोलो, जैसा सब बोलते हैं।'
खत्म हो चुकी है जयकार,
अज़ीज़ मारा जा चुका है
मुंह बंद हो चुके हैं।
हैरत में सब पूछ रहे हैं, यह कैसे हुआ?
जिस तरह सब पूछ रहे हैं
उसी तरह मैं भी, यह कैसे हुआ?

('प्रक्रिया')

श्रीकांत वर्मा को गुजरे वक्त हुआ। उनकी इस कविता की उम्र भी आधी सदी से अधिक हो गई। लेकिन यह कविता तब भी और आज भी, और सिर्फ भारत नहीं, किसी भी जनतंत्र के लिए एक चेतावनी थी और बनी हुई है। 20वीं सदी का सबसे बड़ा सवाल मात्र राजनीतिशास्त्रियों के लिए नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों और साहित्यकारों के लिए भी यही रहा है: जनतंत्र को जनता कैसे खोती है?

इस कविता का शीर्षक 'प्रक्रिया' सार्थक है क्योंकि इसे जनतंत्र के क्षरण की प्रक्रिया की कविता के रूप में पढ़ा जा सकता है। बिना सवाल अनुकरण, भय, दूसरे से शत्रुता का भाव मिलकर एक ऐसा आदमी बनाते हैं जो इन सबकी परिणति देखकर, परिणति के बारे में हैरानी का नाटक भर कर सकता है क्योंकि वह खुद इसका भागीदार है।व्यक्ति के भीड़ में बदलने या भीड़ के सामने आत्मसमर्पण की आशंका मात्र श्रीकांत वर्मा की नहीं। उनके समकालीन रघुवीर सहाय और विजय देवनारायण साही की कविताओं में भी यह बार-बार बज उठती है। यह कविता सबसे पहले व्यक्ति के भीड़ बन जाने की प्रक्रिया की कविता है। भीड़ बनने की प्रक्रिया में अनिवार्य है एक आराध्य का चुनाव। एक नेता में आस्था जिससे कोई सवाल नहीं किया जा सकता, जिसकी सिर्फ जय-जयकार ही की जा सकती है।

जयकार और भय दोनों जुड़वां हैं। यह भय बहुमुखी है। हम जिसकी जयकार में शामिल होते हैं, उसी से डरने भी लगते हैं। एक तरह से यह हमारी प्रश्नातीत भक्ति है जो हमारी भक्ति के पात्र को इतना बड़ा बना देती है कि हम उससे भय खाने लगते हैं। उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार के संदेह से हम डर जाते हैं। कहीं उसे हमारी आस्था के डिगने का पता न चल जाए! जिसे हमने अपनी श्रद्धा अर्पित करके इतना विराट बना दिया है, वह हमें अपने सामने उतना ही लघु बना देता है। फिर वह प्रश्न करने की स्वतंत्रता हमसे छीन लेता है, या हम खुद ही प्रश्न उठते ही उसे दबा देते हैं क्योंकि उस परम सत्ता पर अविश्वास दूषण है।

मैं क्या कर रहा था
जब सब कह रहे थे, 'मुंह मत खोलो?'
मैं भी कह रहा था, 'मुंह मत खोलो
बोलो, जैसा सब बोलते हैं।'

जिसे आराध्य चुना है, उसके प्रति आस्था जुड़ी हुई है एक संदेह के जन्म से। उसके प्रति संदेह जो मुझ जैसा नहीं। यह संदेह उससे भय पैदा करता है और फिर वह आसानी से दुश्मन में बदल जाता है:

सब कह रहे थे,
'अज़ीज़ मेरा दुश्मन है?'

मैं भी कह रहा था, 'अज़ीज़ मेरा दुश्मन है।'

यह अज़ीज़ जर्मनी में यहूदी है, अमेरिका या यूरोप में आप्रवासी है, भारत में मुसलमान और ईसाई है, श्रीलंका में तमिल हिन्दू, ईसाई और मुसलमान है। जाहिर है, ये सब उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो जयकार कर रही है, या भीड़ के बनने की शर्त ही है अज़ीज़ को अलग करना और उसे दुश्मन घोषित करना। अज़ीज़ के इस भीड़ में शामिल न होने से साबित हो जाता है कि वह दुश्मन ही है।

अज़ीज़ को दुश्मन बताते ही भीड़ को एक मकसद मिलता है। उससे भय का कारण भी क्योंकि वह दुश्मन है। इस शत्रु भाव को लेकर भी हर प्रकार के संदेह को उठते ही दबा दिया जाता है। मैं अज़ीज़ को जानता हूं, उसके मेरे शत्रु होने का कोई कारण मुझे नहीं दिखता लेकिन मैं यह कह नहीं सकता क्योंकि सबने उसे दुश्मन घोषित कर दिया है और उससे अलग राय एक तरह से अपने लोगों से द्रोह मानी जाएगी। फिर अज़ीज़ मार डाला जाता है। क्या उसे मैंने मारा? क्या उसकी हत्या में मेरी कोई भूमिका है?

'न्यूरेमबर्ग ट्रायल' नामक फिल्म में न्यायाधीशों पर इस इल्जाम में मुकदमा चलता है कि उन्होंने फासीवाद की आमद में मदद की थी। उनमें से एक न्यायाधीश आखिर में अपना अपराध कबूल करता है। लेकिन वह कहता है कि उसे नहीं मालूम था कि चीजें वहां पहुंच जाएंगी जहां वे पहुंचीं। उसी तरह एक कलाप्रिय संभ्रांत महिला बार-बार कहती है कि क्या यह माना जा सकता है कि उस जैसे सभ्य जर्मनों को मालूम था कि क्या हो रहा है? क्या भीड़ पर सारा इल्जाम मढ़कर निजी जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? यह कविता पूछती है,

मैं क्या कर रहा था
जब सब जयकार कर रहे थे?
और पूछती है, मैं क्या कर रहा था
जब सब कह रहे थे, अज़ीज़ मेरा दुश्मन है?
पूछती रहती है, मैं क्या कर रहा था
जब सब कह रहे थे, 'मुंह मत खोलो?'

अब शोर थम चुका है, जयकार भी बंद हो चुकी है। अज़ीज़ मारा गया है। और सब हैरत में हैं कि

यह कैसे हुआ?
जिस तरह सब पूछ रहे हैं
उसी तरह मैं भी, यह कैसे हुआ?

जनतंत्र का लोप कोई जादू नहीं। वह कोई अचानक टूट पड़ने वाली आपदा नहीं। वह एक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया व्यक्ति के आत्मलोप की है। अपनी जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लेने की है। यह प्रक्रिया जो काम व्यक्ति का है, यानी निर्णय लेना, उस काम को खुद से परे किसी सत्ता को सुपुर्द कर देने की भी है।

जनतंत्र में शुरू से ही व्यक्ति और जन के बीच एक तनाव भरा रिश्ता है। जनता स्वायत्त व्यक्तियों का समूह है या सत्ताविहीन इकाइयों की ऐसी भीड़ है जिसमें किसी का कोई चेहरा नहीं? जनतंत्र का बचा रहना भीड़ से अलग अपनी स्वायत्तता की रक्षा और अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह पर निर्भर है। वरना अंत में सिर्फ बचती है हैरत। ■

जनता स्वायत्त व्यक्तियों का समूह है या सत्ताविहीन इकाइयों की ऐसी भीड़ है जिसमें किसी का कोई चेहरा नहीं? जनतंत्र का बचा रहना भीड़ से अलग अपनी स्वायत्तता की रक्षा और अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह पर निर्भर है। वरना अंत में सिर्फ बचती है हैरत

इलस्ट्रेशन साभार: परिप्लब चक्रवर्ती/ thewire.com

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं।

साभार: thewirehindi.com

गिरती साख राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर न केवल मूकद्रष्टा बना रहता है बल्कि दिखावे के लिए भी कुछ नहीं करता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में उसकी साख लगातार गिरती जा रही है।

मानवाधिकार उल्लंघन का संज्ञान तक नहीं लेता आयोग

मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड सांप्रदायिक हिंसा जैसे मामलों में आयोग निष्क्रिय साबित हुआ है। संकट के लिए आयोग खुद जिम्मेदार

आकार पटेल

इस साल 13 मई की एक खबर का शीर्षक था, 'संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्था ने भारत के मानवाधिकार आयोग की लगातार दूसरे साल मान्यता रद्द की।' इसके साथ लिखा था कि इस फैसले से भारत की मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अन्य संस्थाओं में वोट करने की योग्यता प्रभावित हो सकती है।

आखिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मान्यता न देने का फैसला क्यों लिया गया। पिछले साल 9 मार्च, 2023 को कुछ गैर सरकारी संगठनों (इसमें मेरा संगठन भी शामिल है) ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस को पत्र लिखकर भारत की इस मोर्चे पर मान्यता की स्थिति की समीक्षा करने का आग्रह किया था क्योंकि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में स्वतंत्रता, बहुलवाद, विविधता और जवाबदेही का अभाव था जो राष्ट्रीय संस्थानों पर संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों (जिन्हें 'पेरिस सिद्धांत' कहा जाता है) के विपरीत था। हमारे पत्र का संज्ञान लेते हुए और दूसरे नागरिक समाज के प्रस्तावों को देखते हुए वैश्विक संस्था ने अगले 12 महीनों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस आधार पर मान्यता देने से इनकार कर दिया कि यह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और भारत में बढ़ रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को रोकने में नाकाम रहा है।

ऐसी कौन सी बातें थीं जिन्हें पेरिस सिद्धांतों का उल्लंघन माना गया? पहली था आयोग की स्वतंत्रता। आयोग में नियुक्तियों और इसकी कार्यप्रणाली को स्वतंत्र नहीं माना गया। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केन्द्रीय गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं और राज्यसभा के उपसभापति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2019 के बाद से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद खाली है। इस कारण विपक्ष की सिर्फ एक ही आवाज रह गई है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा को उनके रिटायरमेंट के बाद नियुक्त किया गया, हालांकि उनकी नियुक्ति पर चयन समिति में विपक्ष की इकलौती आवाज की तरफ से असहमति जताई गई थी। दूसरी बात यह कि मानवाधिकार आयोग सरकार और पुलिस द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच पुलिस अफसरों से ही कराता है। यह हितों के टकराव का मामला है जिसे सरकारी दखल से मुक्त नहीं कहा जा सकता। इसे 2023 में सामने रखने के बावजूद नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस व्यवस्था को दुरुस्त करने या सलाह-मशविरा करने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की।

नवंबर, 2023 में सात पूर्व आईपीएस अधिकारियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर के तौर पर नियुक्त किया गया। इनमें से एक पर 2018 में भ्रष्टाचार का आरोप है जब वह स्पेशल सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर तैनात थे। इस अफसर को देश की अग्रणी जांच एजेंसी में आतंकवाद, घुसपैठ विरोधी, सांप्रदायिक दंगों और हिंसा के मामलों को देखने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी तरह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक पूर्व डायरेक्टर को भी सदस्य बनाया गया।

भारत को बार-बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में विविधता की कमी के बारे में चिंताओं से अवगत कराया गया है। विविध भारतीय समाज के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके अपने ढांचे और कर्मचारियों में बहुलवादी संतुलन रखने के लिए कहा गया है जिसमें धार्मिक या जातीय अल्पसंख्यक शामिल हों। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और प्रधानमंत्री लगातार चुनावी भाषणों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं।

लेकिन यह सब उन्हें आश्चर्यचकित कर सकता है जिन्होंने इस सरकार से इस मुद्दे पर सहमति जताई है कि हिंसा का विरोध करने वाले सभी लोग 'राष्ट्र-विरोधी' हैं। हालांकि बाहरी दुनिया ऐसे नहीं देखती है क्योंकि उचित लोकतंत्रों को नागरिक समाज के साथ जुड़ना चाहिए। भारत में मानवाधिकार रक्षकों को बरसों तक बिना मुकदमा चलाए यूएपीए जैसे विभिन्न तानाशाही कानूनों के तहत जेल में डाल दिया जाता है। मानवाधिकार आयोग इसका संज्ञान तक नहीं लेता। इनमें भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद का पांच साल से अधिक चलने वाला मामला हो, कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज का मामला हो जिन्हें नवंबर, 2021 से जेल में डाला हुआ हो या फिर उमर खालिद का मामला हो।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन मामलों में कोई भी उचित कदम नहीं उठाया और न ही संयुक्त राष्ट्र की चिंताओं पर कोई अमल किया। मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तराखंड में सांप्रदायिक हिंसा और अन्य मामलों पर आयोग निष्क्रिय ही साबित हुआ है।

भारत के पास फिलहाल 'ए' रेटिंग है। दोबारा मान्यता टलने का मतलब है कि यह रेटिंग खतरे में है। इसका मतलब यह भी है कि एनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अन्य निकायों में अपनी मतदान स्थिति खो देगा। इसे केवल सही काम करके ही ठीक किया जा सकता है जिसे करने से सरकार को कोई नहीं रोक रहा है। हम सभी भारत को वैश्विक संस्था में उच्चतम स्तर पर मान्यता प्राप्त होते देखना चाहते हैं, हालांकि ऐसी मान्यता ईमानदारी से मिलनी चाहिए जो भारत में मजबूत और स्वतंत्र मानवाधिकार निकाय को प्रतिबिंबित करती हो और जो विशेष रूप से सरकार द्वारा अधिकारों के उल्लंघन का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हो। ■

भारत में मानवाधिकार रक्षकों को बरसों तक बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता है। इनमें भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद का मामला हो, कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज का या फिर उमर खालिद का, आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया

धरोहर

अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति

अगर अहिंसा की प्रत्यक्ष और सक्रिय अभिव्यक्ति न की जा सकती हो, तो वह एक निरर्थक चीज है। यह विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अधिक शक्ति है। निष्क्रिय रहकर कोई अहिंसा का आचरण नहीं कर सकता है। दरअसल 'नॉन वायलेंस' शब्द मुझे 'अहिंसा' शब्द के मूल अर्थ को व्यक्त करने के लिए गढ़ना पड़ा। 'नान' ('अ') उपसर्ग के बावजूद 'नॉन वायलेंस' ('अहिंसा') कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है। ऊपर से देखें तो जीवन चतुर्दिक संघर्ष और रक्तपात से घिरा हुआ है, जीव के ध्वंस पर जीव का अस्तित्व कायम है। किंतु युगों पूर्व इस कुहेलिका (कुहासे) को भेद कर असली सत्य के दर्शन करने वाले किसी द्रष्टा ने कहा था: मनुष्य संघर्ष और हिंसा द्वारा नहीं, बल्कि अहिंसा द्वारा ही उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है जिसे प्राप्त करने में उसका परम श्रेय है और उसी के द्वारा वह अपने सह-प्राणियों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकता है। यह विद्युत से भी अधिक सक्रिय, ईथर से भी अधिक प्रबल शक्ति है। इसके केन्द्र में एक ऐसी शक्ति निहित है जो बिना किसी बाहरी प्रेरणा या सहायता के सक्रिय रहती है। अहिंसा का अर्थ है 'प्रेम', वह प्रेम जिसकी परिभाषा संत पॉल ने की है। लेकिन सच कहें तो यह उससे भी कुछ बढ़कर ही है, यद्यपि मैं जानता हूं कि इस शब्द की संत पॉल द्वारा की गई सुंदर परिभाषा सभी संभावित प्रयोजनों के लिए पर्याप्त है।

महात्मा गांधी, हरिजन, 14.03.1936

सहयात्री

देहरादून में युवा फिर उतरे जंगल बचाने

क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जब पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और जंगलों को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है, उत्तराखंड सरकार ने शहर से लगते एक और जंगल का सफाया करने की योजना बना दी है। इस बार निशाने पर है खलंगा की पहाड़ी का घना साल वृक्षों का जंगल। यहां सौंग नदी पेयजल योजना के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए साल के दो हजार पेड़ काटने की तैयारी है। पिछले दिनों काटे जाने वाले पेड़ों का छपान भी कर दिया गया। छपान का मतलब है काटे जाने वाले पेड़ों को चिह्नित करने के लिए कुल्हाड़ी से उनके एक हिस्से को छील देना। देहरादून के पर्यावरण से जुड़े संगठनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग युवाओं को इसकी जानकारी मिलने पर वे विरोध में उतर आए। 19 मई को बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के लोग, युवा और छात्र खलंगा पहुंचे और पेड़ों को काटने का विरोध किया। यहां एक और खास बात हुई। 25-30 लोगों का एक समूह भी हर-हर महादेव और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए वहां पहुंचा और उसने पेड़ बचाने के लिए जुटे लोगों की बैठक को बाधित करने का प्रयास किया। देहरादून में जब भी विकास के नाम पर जंगलों को काटने की योजना बनाई जाती है, यहां के कुछ लोग विरोध के लिए आ जाते हैं। इससे पहले चाय बागान, सहस्रधारा रोड, आशारोड़ी और थानो के जंगलों को बचाने के लिए देहरादून में बड़े आंदोलन हो चुके हैं, हालांकि इसमें केवल चाय बागान को बचाने में ही लोग सफल हो पाए हैं। तीव्र विरोध के बावजूद सरकार ने आशारोड़ी और सहस्रधारा रोड के हजारों पेड़ काट दिए। ■

जनचौक

समस्याओं से जूझने को मजबूर आशा कार्यकर्ता

पालघर (मुंबई) की एक सामाजिक कार्यकर्ता सुवर्णा कांबले कहती हैं कि उन्हें मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के अलावा भी कई काम करने पड़ते हैं जो उनकी जिम्मेदारियों में नहीं आते। वह बताती हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को जितनी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उसकी तुलना में उन्हें बहुत कम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। योजना की शुरुआत के 15 साल बाद भी उन्हें विभिन्न समस्याओं से जूझने को मजबूर होना पड़ रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के दिशानिर्देशों के अनुसार, आशा कार्यकर्ताओं का काम केवल मरीजों को रेफर करना और गंतव्य तक पहुंचाना था। हालात यह है कि उन्हें भर्ती कराने और सुविधाएं खोजने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें अपनी जेब से अपना और मरीज का परिवहन और उपचार आदि पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। 2022 के लिए संशोधित एनएमएच दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक 10 लाख आबादी के लिए एक उप जिला अस्पताल होना चाहिए जिसमें बाल चिकित्सा, स्त्री रोग और प्रसूति देखभाल की सुविधा होनी चाहिए। पालघर में कोई जिला अस्पताल नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वित्त पोषित दिल्ली राज्य हेल्थ मिशन के साथ काम करने वाली जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थकेयर, इंडिया पोषण शोधार्थी और कार्यक्रम प्रमुख डॉ. सुपर्णा घोष-जेरथ का कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं को समुदायों में संपर्क कार्यकर्ता के रूप में माना जाता है। जमीनी स्तर पर काम करने वाला ऐसा कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य सेवा को लोगों के दरवाजे तक ले जाता है और उन्हें स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से जोड़ता है। लेकिन बाद में गैर-संचारी रोगों और विकलांगता की रोकथाम को भी आशा कार्यकर्ताओं के काम में जोड़ दिया गया जबकि उनकी सुविधाएं नहीं बढ़ाई गईं जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ■

IndiaSpend

आपका पत्र

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शिकायतों का बढ़ना गंभीर चिंता का विषय

कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसद ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम) पारित कर दिया और इसे बेहतर तरीके से लागू करने के लिए भी विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। लेकिन इसे विडंबनापूर्ण ही कहा जाएगा कि इस सबके बावजूद कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं की जा सकी है बल्कि इस तरह की घटनाएं बढ़ने के ही संकेत मिल रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, पिछले एक दशक में भारतीय कंपनियों द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताए गए यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। शिकायतों की संख्या, निपटाई गई शिकायतों की संख्या से अधिक तेजी से बढ़ रही है- केवल कुछ ही कंपनियां मामलों की रिपोर्ट कर रही हैं जबकि कई कंपनियां कई वर्षों से अक्सर शून्य मामलों की रिपोर्ट कर रही हैं। ये स्थितियां बताती हैं कि इस अधिनियम का क्रियान्वयन किस तरह किया जा रहा है। जाहिर है, कई खामियां रह जा रही हैं जिसके दुष्परिणाम महिलाओं को भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या यह बेहतर स्थिति नहीं होगी कि इस अधिनियम को पूरी जिम्मेदारी के साथ लागू किया जाए ताकि कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी की जा सके।

-दिगंबर नाथ 'पथिक', नई दिल्ली

अखबार में प्रकाशित सामग्री पर पाठक अपने विचार और प्रतिक्रिया हमें नीचे लिखे ईमेल आईडी पर भेज सकते है- contact@navjivanindia.com

कविताएं/ फरीद खान

ग़ालिब को बहुत पसंद थे- आम

जब वे कार्यकर्ता थे
तो पूरे देश में
काट-काट कर खाते थे- आम।
जब वे राजा बने
तो चूस-चूस कर खाने लगे- आम।
काटने और चूसने की उनकी ऐसी
आदत पड़ गई, कि जब कम पड़ गए
खाने को- आम, तो उन्होंने सबसे पहले
अपने घर में काटा- आम,
और भर पेट खाया।
फिर गली-मुहल्लों, और सड़कों पर निकलकर
चूसकर खाया- आम।
कपड़े बदल-बदलकर उन्होंने अपने
उदर-विकास का मॉडल पूरी दुनिया को दिखाया
और बताया कि विकास की उनकी भूख
कभी खतम ही नहीं होती।
"इसलिए हम एक हाथ से चूसकर और
दूसरे हाथ से काटकर खाते हैं- आम।"
"ग़ालिब को बहुत पसंद थे- आम।"

अब्दुल टाइट नहीं हुआ

अरे अब्दुल,
तू अब तक टाइट नहीं हुआ?
हमने तेरी मस्जिद तोड़ी, घर पे चलाये बुलडोजर
पर तू अब तक राईट नहीं हुआ ?
कमर भी तेरी नहीं ही टूटी।
क्या अब्दुल, यह हाईट नहीं हुआ ?
तेरी बस्ती में अंधेरा है।
फिर कैसे होता वहां सवेरा है ?
हम खाते हैं भोजन, तुम क्यों गम खाते हो बे?
सुना है, गुस्सा पी के सहते हो बे?
क्या अब्दुल, यह कविता नहीं हो गया आज?
तुम तो बहुत पढ़े हो बे
बात बताओ पते की बे
लात जूते खा कर भी
तुम सब जीते कैसे हो बे?
अफीम खा के माई बाप!
अफीम खा के?
हां, जैसे मेहतर गटर में
उतरने के पहले दारू पीता है, वैसे ही।
क्या अब्दुल,
तू राष्ट्रवादी नहीं हो गया ?

आप अगर वो हैं तो गर्व करें

समय का सच पूरे विद्रूप के साथ न उभरे तो व्यंग्य कैसा। अनूप मणि त्रिपाठी के व्यंग्य की यही खासियत है। वह न सिर्फ समय पर नजर रखते, बयान करते, बल्कि उस पर सीधी चोट भी करते हैं। तीखे राजनीतिक व्यंग्य ने उन्हें एक अलग पहचान दी है और हरिशंकर परसाई स्मृति पुरस्कार मिलना इसका प्रमाण है। ताजा व्यंग्य रचना

अनूप मणि त्रिपाठी

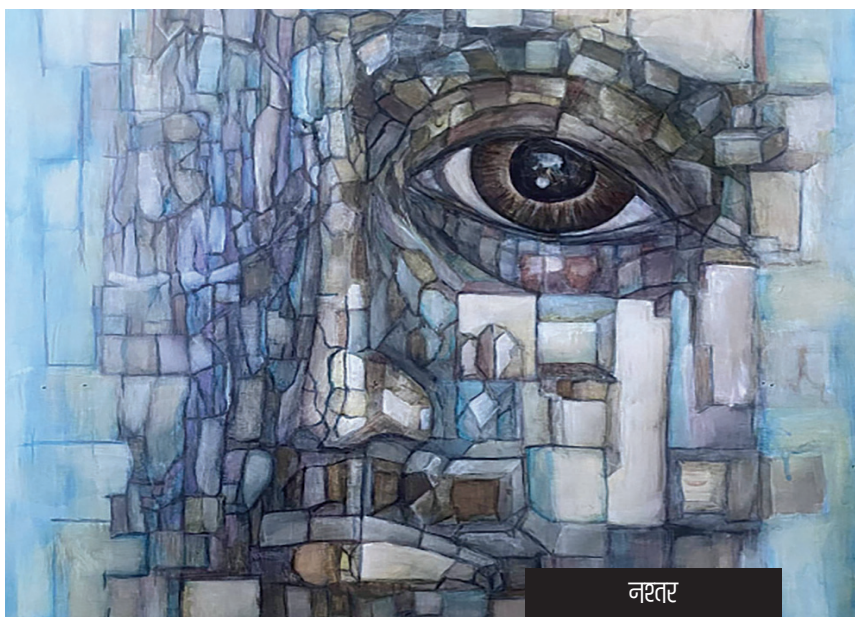

नश्तर

एक दिन की बात है

सुबह-सुबह भाईसाहब आए और बोले कि आप गर्व नहीं करते। मैंने उनसे पूछा कि किस बात पर गर्व करूं।

वे बोले, 'आप वो हैं कि नहीं'

मैंने उनको बताया कि हां मैं वो तो हूं।

फिर वह गरजे, 'तब भी आप गर्व नहीं करते'

'अगर मैं वो हूं तो इसमें गर्व वाली क्या बात है!' मैं उनकी बात समझने में असमर्थ था।

'तभी देश की हालत ऐसी हो रही है!' उन्होंने मुझ पर लानत भेजी।

'ठीक है! अब आप जाने भी दें! आप बस यह बताएं कि कब से गर्व करना स्टार्ट करूं!'

'अभी से करना शुरू कर दीजिए, वरना देर हो जाएगीराष्ट्र पर घोर संकट आ जाएगा!'

मैंने उन्हें 'धन्यवाद!' देकर विदा किया।

'अजीब संजोग है! आज सुबह से मोबाइल पर भी कई संदेश आ रहे हैं कि मैं गर्व करूं!'

फिर मैंने भी मूड बना लिया और लगा अपने वो पर गर्व करने। कुछ दिनों बाद मैं अपना गर्व लेकर उनके पास पहुंचा। मैंने खुशी-खुशी उन्हें अपने गर्व के बारे में बताया और सगर्व अपना गर्व दिखाया। मेरी सोच के विपरीत उन्होंने प्रतिक्रिया दी।

'यह क्या एक सप्ताह में केवल ढाई सौ ग्राम गर्व किया!'

मैं हकबका गया। वजह तलाशने लगा।

वे ही बोले, 'लगता है कि तुमने अंग्रेजी में प्राइड किया! विशुद्ध गर्व कीजिए। शुद्ध हिन्दी में'

उन्होंने पलक झपकते ही मेरे अखंड गर्व को खंड-खंड कर दिया। मुझे लगा कि मैं केंचुए की तरह उनके संगमरमर के फर्श पर लिबलिब कर रहा हूं।

वे अंदर गए। लौटे तो उनके हाथ में कुछ किताबें थीं। किताबों और निर्देशों के साथ उन्होंने मुझे विदा कर दिया।

फिर मैंने उन्हें बांचा। वे समय-समय पर जो कहते, वो मैं करता। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि वे जो कुछ भी मुझे समझाते हैं, उसे मैं अपने बिरादरी वालों को 'फारवर्ड' करता रहूं।

मैंने किया।

धीरे-धीरे मैंने कुछ महसूस किया।

मैंने महसूस किया कि मेरा इंटरेस्ट और लोगों में कम हो रहा है। मेरा सामाजिक दायरा सिमट रहा है। इस बीच फिर मैं अपने कुछ दोस्तों से मिला। जिनको गर्व करने के लिए मैं कहा करता, उनके और हमारे बीच गर्व की तुलना होने लगी।

अच्छा टाइमपास होने लगा।

एक अजब किस्म की प्रतिस्पर्धा छिड़ चुकी थी हमारे बीच। गर्व करने से कुछेक चीजों की तरफ जहां ध्यान गया, तो वहीं कई चीजों की तरफ से ध्यान हट भी गया। लगा कि दुनिया में इतनी भी समस्याएं नहीं हैं जितनी बताई जाती हैं। मेरे कुछ मित्र बल्कि यह कहते कि सारी समस्याएं ही कुछ लोगों की वजह से हैं। मुझे लगा कि गर्व करने में वे भी मुझसे आगे हैं।

गर्व करने की मुझे अपनी रफ्तार बढ़ा देनी चाहिए!

पहले मैं सुबह-शाम ही गर्व करता था। फिर मैंने टीडीएस, यानी सुबह-दोपहर-शाम गर्व करना शुरू कर दिया। इस दौरान मुझे कभी-कभी लगता कि गर्व तो एसओएस, यानी जब जरूरी हो तब करना चाहिए। लेकिन मैंने गर्व करने की गति और बढ़ाने की सोची।

मैं पिछड़ना नहीं चाहता था।

कुछ ही दिनों बाद ही मैं क्यूडीएस, यानी सुबह-दोपहर-शाम-रात गर्व करने लगा। जैसे किसी डाक्टर ने मेरे मानस पटल के पर्चे पर ऐसा करने को लिख दिया हो! जब मुझे लगा कि मेरे गर्व का अच्छा खासा स्टॉक हो गया है और मैं गर्व करने में अभयस्त हो चुका हूं, तब मैं अपना गर्व लेकर भाई साहब के घर पहुंचा। उनके सामने बैठते ही चहक कर गर्व दिखाया।

'यह क्या है!' वह बिफर कर बोले।

'पिछले एक महीने का गर्व'

'बस इतना ही'

'जी!'

'मेरे खयाल से अधिक से अधिक एक किलो होगा!'

यह सुनकर मैं मायूस हो गया। उनसे बहस नहीं कर सकता था। वह इस क्षेत्र के बहुत पुराने अनुभवी और विशेषज्ञ थे। यद्यपि उन्होंने 'खयाल' शब्द का प्रयोग किया था।

'तुम से नहीं होगा'

मैं चुप ही रहा।

'यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो एक महीने में कुछ नहीं तो 30 किलो गर्व कर ही लेता..'

मैं सिर झुकाए सुनता रहा। वह अचानक उठे। मेरा हाथ पकड़ा और बाहर ले आए। बोले,'लगता है तुम सिद्धांत से नहीं, व्यवहार से सीखोगे!'

'आप प्रैक्टिकल करवाने लाए हैं!' उन्होंने इस बात पर अपनी आंखें मूंद लीं।

फिर हम बाजार में टहलने लगे।

'उसको देख रहे हो!' यकायक उन्होंने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया।

'जी'

'उसको गाली देकर आओ!'

'हां, मगर क्यों!'

'जितना कह रहा हूं, उतना करो!'

'नहीं हो पाएगा!' मैंने साफ मना कर दिया।

'अच्छा! मन ही मन उसे गाली दो!'

'हां, मगर क्यों!'

'क्या वह हमारी तरह दिखता है!' वह मुझे घूरते हुए बोले।

'नहीं'

'फिर'

'गाली देने की यह क्या वजह हुई!'

'जाहिर है कि वह हमारी तरह सोचता भी नहीं होगा!'

'हां तो!'

'उसका रहन-सहन भी हमारे जैसा नहीं है!'

'क्या फर्क पड़ता है!'

'फर्क पड़ता है!' वह चीख उठे। उनका यह व्यवहार अप्रत्याशित था। मैं उन्हें सौम्य स्वभाव का व्यक्ति समझता था।

'तुम उसे गाली देते हो कि नहीं!' वह कड़े स्वर में बोले।

'जी' मैं हकलाया। इतनी ही देर में वह मेरा इरादा समझ गए।

उन्होंने छूटते ही उस व्यक्ति को गाली दी। उस व्यक्ति ने तो नहीं सुनी क्योंकि वह दूरी पर था। पर मुझे स्पष्ट सुनाई दी। एक बारगी मुझे लगा अप्रत्यक्ष तौर पर वह कहीं मुझे तो नहीं सुना रहे!

'मुझे देखो!'

मैंने उन्हें देखा।

उनका चेहरा दमदमा रहा था। छाती फूली हई थी।

मैं सहम गया।

'अगर तुम गर्व नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो!' वह बहुत विन्रमता से बोले।

'जी बताएं!' मैं संकोच के साथ बोला।

'तुम अपने से अलग दिखने वाले से नफरत करने लगो गर्व करना अपने आप आ जाएगा!'

मैं अवाक रह गया ।

वह दिन था और आज का दिन है, मैं आज तक अपने वो होने पर गर्व न कर सका... ■

ADVERTISEMENT RATE CARD

w.e.f. 1 January 2024

NATIONAL HERALD ON SUNDAY संडे नवजीवन

The AJL Group has two weekly newspapers and three website portals in English, Hindi and Urdu

www.nationalheraldindia.com | www.navjivanindia.com | www.qaumiawaz.com

Commercial Display (w.e.f 1st Jan 2024)

Category of Advertisements (C/BW)	National Herald on Sunday (National Edition)	(Mumbai)	Sunday Navjivan (National Edition)
Full Page (1650 sq.cm)	Rs 10 Lakh	Rs 8 Lakh	Rs 10 Lakh
Half Page (800 sq. cm)	Rs 6 Lakh	Rs 5 Lakh	Rs 6 Lakh
Quarter Page (400 sq. cm)	Rs 4 Lakh	Rs 3 Lakh	Rs 4 Lakh
< Quarter Page (400 sq. cm)	Rs 1515 per sq. cm		

PAGE PREMIUM	Display Ads BW/Color	Political Ads BW/Color
Front page	100% Surcharge	200% Surcharge
page (3 & back)	25% Surcharge	100% Surcharge
Specified page	50% Surcharge	50% Surcharge

*Advance payment is needed for all political advertisements.

Classified for festival greetings and anniversary
Full page @ Rs 1,00,000 | Half Page @ 60,000
< 240 sq. cm @ Rs 175 per sq. cm

State Govt Advertisements/ C/BW
@ Rs 525 per sq. cm

The Associated Journals Limited
Herald House, 5A, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi 110002
Phone: 011-47636300 - 313
Whatsapp No: 9650400932
Email: advt@nationalheraldindia.com

Online Remittance/Bank Beneficiary Details:
Name: **Associated Journals Limited**
Bank Name: **Canara Bank**
Branch Name: **I P Estate, New Delhi-110002**
C/A No.: **90171010003955;** IFSC Code: **CNRB0019017**
GST No.: **27AAECA1180A1ZB ;** PAN No.: **AAECA1180A**

NOTE: Cheque / DD should be drawn in favor of "Associated Journals Limited" and sent to Herald House, 5-A Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002.

General Terms and Conditions

w.e.f. 1 January 2024

National Herald on Sunday (Delhi & Mumbai) and Sunday Navjivan

1. All advertisements are published in Edition(s) of the paper and charges are payable strictly in advance of publication by Bank Draft or Bank Transfer (RTGS) and /or cheques only except in the case of advertising agencies accredited to INS.

2. Advertisements are accepted for publication on top of advertisements positions on an additional charge of 25%. No advertisement is however published on top of news-matter.Top of column position cannot be guaranteed even on payment of additional charge of 25%.

3. Extra charges for top of column position are calculated on the total amount payable inclusive of amount payable for specified pages.

4. Every reasonable effort is made to publish an advertisement on the date(s) specified by an advertiser. The Management however reserves the right to vary the date or the scheduled date(s) of publication, with or without notice to the advertiser, owing to the exigencies of availability of spaces.

5. The management reserves the right to refuse, suspend or stop, in its discretion, publication of any advertisement without assigning any reasons.

6. While every endeavour will be made by the Management to avoid publication of competitive advertisements in close proximity to one another, no guarantee can be given in this respect nor will the claims be entertained for free insertions in the event of announcements of rival product appearing on the same page.

7. The placing of an order by an Advertiser/Advertising Agency constitutes a warranty by the Advertiser/Advertising Agency to the Associate Joumals Limited Management that the Advertiser/ Advertising Agency has secured the necessary authority and permission in respect of the use in the advertisement or advertisements of pictorial representation of (or purporting to be of) living persons and all references to words attributing to living persons.

8. The advertisements will be charged at the rate applicable on the day of publication of the advertisement irrespective of the date of booking, date of release order and whether the advertisement is part of any package/scheme.

9. Standing instructions are accepted over Whatsapp or email. However verbal instructions must be clear and specific. Quoting reference of the previous release order and/or new scheduled dates of insertions in respect of which the instructions are given. These instructions should be given afresh either through Whatsapp/email and/or Landline phone.

10 Booking of space for premium positions in all The Associated Journals Limited publications will be confirmed only upon receipt of original releaseorder. Fax/Scanned copies, Emails will be entertained for the same.

11. "Reader" advertisements are accepted but will be distinguished from 'news matter' by a rule around the advertisement matter and expression 'advt' will be added at bottom.

12. Solus/Semi Solus positions cannot be guaranteed on the front page.

13. Cancellation charges @20% of the total cost of the front/Full page advertisement shall be levied if a cancellation of booking is made two days before the scheduled date of publication. Cancellation charges @35% of the total cost of the full front-page advertisement shall be levied if the cancellation of a booking of front/full page advertisement is made one day before the scheduled date of the publication.

14. In the event of printing mistake, omission or non-publication of advertisement, the advertising agencies shall have to furnish the instructionson behalf of their client for republication. In the event of a dispute the liability of Management shall be restricted to the amount received against sale of spaces for the advertisement received. All disputes /claims regarding advertisement /complaints must be made within a period of one month of publication date after which no claim will be entertained.

15. The Management shall not be responsible for any loss or damage caused by an error or inaccuracy in the printing of/or omission in inserting advertisements.

16. In case of dispute, the agency shall not be entitled to invoke any condition suggestive of existence of an arbitration agreement unless specifically agreed to by the Management.

17. No deduction is allowed from bills raised against publication of advertisement(s) on account of any defective insertion(s). Any claims in these respects, if admitted, will be met by publishing a corrigendum/ free insertion or the like, depending upon the merits of the claim vis-a-vis the error in publishing the advertisement(s) or other materials. Claims for refund or for compensation, if admitted, shall be restricted to the charges for advertisement received by Management. The decision of the management shall be final in this regard.

18. The advertisements released by Government/Semi Government/ Undertakings/Autonomous body are published in classified display column only at commercial rates irrespective of the number of words.

19. The advertising agencies releasing an advertisement on behalf of its client shall be deemed to have undertaken to keep the management indemnified in respect of costs, damages or other charges incurred by the Management as a result of any legal action or threatened legal action arising from and in relation to publication of any advertisement published in accordance with the release order and the copy of instructions supplied by the agency.

20. The agency shall bring to the notice of its clients these General Terms and it shall not be open to any of its clients to plead/claim or aver ignorance of these General Terms which apply to every transaction of sale of space in particular issue(s) of any of publications of The Associated Joumals Limited.

21. No agency commission is payable on the on the classified advertisements chargeable at DAVP rates.

22. Fraction of centimetre in excess of the scheduled size shall be charged as full centimetre if the advertisement exceeds the scheduled size. If the material supplied is shorter than the scheduled size, the advertisement will be charged for the size scheduled and not for theactual space occupied or consumed by the advertisement on the basis of the short size material so supplied.

23. The Management shall not be bound by notice of stoporders, cancellations, preponements/postponements or alterations/deletions/ additions in the material(s) of advertisement(s) booked for publication in special or specified position if received less than one week prior to dates of insertion. For ordinary advertisement, the stoppage or not of cancellation must reach at least four days before the scheduled date of publication of advertisement.

24. The Management reserves the rights to revise the rates and terms and conditions without any notice.

25. Every Advertiser/Advertising Agency acknowledges having read and accepted these Terms and Conditions.

26. Courts only in New Delhi, shall have the jurisdiction to entertain and decide all disputes and claims, arising out of publication of any advertisement in the Associate Journals limited publications.

27. The Management shall be at liberty to refuse to carry advertisements/ adjust amounts paid for subsequent ads against pre-existing liabilities, even without carrying such subsequent advertisement.

28. Advertising party hereby agrees to indemnify, defend and hold harmless AJL, it's directors, officers, shareholders and agents against any and all third party claims arising out of or in connection with the content or placement of the advertisement, and to the fullest extent.

29. In no event shall AJL be liable hereunder for any indirect, incidental, special, consequential, punitive or exemplary damages or losses in connection with these terms even if advised in advance of the possibility of arising of such liability, damages or losses.

30. In no event shall AJL's aggregate liability exceed Rs. 10,000 to any advertising party.

Published Date 26 May, 2024 (Sunday), Posted at LPC Delhi RMS, Delhi-06, Posting Days Friday and Saturday

जिंदगी की दौड़ में कदम-कदम पर रोड़े

पंजाब में अनुसूचित जाति की लड़कियों की राह कांटों भरी है। गरीबी, जातीय पहचान, शिक्षा के सीमित अवसर उनका लैंगिक संघर्ष बढ़ाते हैं। रेस में आगे निकलने पर भी तमगा किसी और को मिलता है। नौकरी की बारी आई तो पीछे से खींच लिया जाता है

जज्बा अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट राजिंदर सिंह छीना इन बच्चियों की रफ्तार बनाए रखने में हर संभव मदद दे रहे हैं। हरशे छीना गांव वह केन्द्र है जहां वह इन लड़कियों को निशुल्क प्रशिक्षण देते हैं (बाएं)। जसपाल, कोमलप्रीत और रमनदीप (दाएं) उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने और मैदान पर अपनी रफ्तार बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहतीं।

जसपाल, रमनदीप और उनकी दोस्त एक सुर में अपने कोच से शिकायत करती हैं, "ये तो किसी और को जिता रहे, हमसे आगे दूसरी कोई लड़की नहीं थी।" मैराथन में हिस्सा लेने के लिए 200 किलोमीटर की दूरी तयकर अमृतसर से चंडीगढ़ आईं लगभग दर्जन भर एथलीट ग़ुस्से में दिखीं जब सामने मंच से 5 किलोमीटर दौड़ की प्रथम उपविजेता के रूप में जसपाल कौर के नाम की घोषणा हो रही थी। उन्हें पता था कि जसपाल दौड़ खत्म होने तक सबसे आगे थीं, फिर भी 'प्रथम नकद पुरस्कार' की घोषणा किसी और के लिए हुई।

जसपाल मंच गईं लेकिन प्रथम उपविजेता का पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया। मंच पर मौजूद कोच और अन्य लोगों से निर्णय पर सवाल उठाया, अपनी बात कही। उनसे वीडियो फुटेज देखने का आग्रह किया। अंत में कोच के कहने पर जसपाल ने दूसरा पुरस्कार स्वीकार कर लिया जो फोम बोर्ड का एक बड़ा सा चेक था जिस पर 3,100 रुपये की राशि अंकित थी।

लेकिन एक महीने बाद अप्रैल, 2023 में वह आश्चर्य से भर गईं जब उन्होंने अपने खाते में (प्रथम पुरस्कार की राशि) 5,000 रुपये जमा देखे। हालांकि जसपाल ने किसी से इसकी चर्चा नहीं की। रनीजेन की नतीजों की वेबसाइट पर 5 किलोमीटर दौड़ के विजेता के तौर पर उनका नाम दर्ज है जिन्होंने अपनी दौड़ 23.07 मिनट में पूरी की। वह उस साल के पुरस्कार वितरण समारोह की तस्वीर में नहीं हैं लेकिन जसपाल के पास अपने कई पदकों के साथ वह बड़ा सा चेक अब भी मौजूद है। साल 2024 में अगले मैराथन में लड़कियों के साथ जाते समय इस रिपोर्टर को आयोजकों से पता चला कि वीडियो फुटेज देखने के बाद उस दौड़ में जसपाल की प्रतियोगी अयोग्य घोषित हुई। तब समझ में आया कि जसपाल को प्रथम विजेता की पुरस्कार राशि क्यों भेजी गई।

जसपाल के लिए नकद पुरस्कार बहुत जरूरी हैं। पर्याप्त पैसे बचाकर ही वह फिर से कॉलेज जा सकेंगी। दो साल पहले जसपाल ने एक निजी विश्वविद्यालय से ऑनलाइन बीए (आर्ट्स) में दाखिला लिया था लेकिन अब तक एक सेमेस्टर से आगे नहीं बढ़ पाईं- "मुझे परीक्षा में बैठने के लिए हर सेमेस्टर लगभग 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। पहले सेमेस्टर में तो नकद पुरस्कार के पैसों से फीस भर दी लेकिन दूसरे सेमेस्टर के लिए पैसे नहीं थे।"

जसपाल (22) अपने परिवार में कॉलेज जाने वाली पहली पीढ़ी हैं और गांव में मजहबी सिख समुदाय की उन चंद महिलाओं में एक हैं जो कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं। इस समुदाय की महिलाएं अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा हाशिये पर हैं। उनकी मां बलजिंदर कौर पांचवीं तक पढ़ी, पिता बलकार सिंह कभी स्कूल नहीं जा पाए। बड़े भाई अमृतपाल (24 वर्षीय) को भी बारहवीं बाद पिता के काम में हाथ बंटाने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अभी मजदूरी करता है। छोटे भाई आकाशदीप (17) ने 12वीं की पढ़ाई जरूर पूरी कर ली है। परिवार की आमदनी दोनों मर्दों को काम मिलने पर निर्भर है, यानी पूरी तरह अनिश्चित। वह महीने में नौ से दस हजार तक कमा लेते हैं।

नकद इनाम के पैसे से जसपाल प्रतियोगिताओं का प्रवेश शुल्क, यात्रा खर्च और कॉलेज की फीस तो निकाल लेती हैं। कहती हैं, "प्रतियोगिता के लिए टी-शर्ट तो मिलती है लेकिन शॉर्ट्स, ट्रैकसूट पैंट और जूते के लिए घर से पैसे लेने पड़ते हैं और यह आसान नहीं है।" जसपाल पिछले सात सालों से 400 मीटर, 800 मीटर और 5 किलोमीटर की स्पर्धाओं में भाग ले रही हैं और कई पुरस्कार और पदक जीत चुकी हैं। हालांकि जसपाल की अब तक की सफलताएं परिवार की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त नहीं है। फरवरी, 2024 से जसपाल अमृतसर के पास एक गौशाला में हिसाब-किताब रखने का काम कर रही हैं जिसके लिए उन्हें 8,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। बताती हैं, "परिवार की आय में योगदान के लिए यह नौकरी की लेकिन अब मुझे पढ़ने का समय ही नहीं मिलता।" नौकरी से मिलने वाला वेतन भी सेमेस्टर की फीस भरने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मार्च, 2024 में उन्होंने एक बार फिर चंडीगढ़ में 10 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेने का फैसला किया। तीसरे नंबर पर आईं और 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार जीतने में सफल रहीं जो अब तक उनके खाते में नहीं आया है।

> जसपाल मजहबी सिख समुदाय की उन चंद महिलाओं में हैं जो कॉलेज की पढ़ाई तक पहुंचीं। इस समुदाय की महिलाएं अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा हाशिये पर हैं। मां पांचवीं तक पढ़ीं, पिता कभी स्कूल नहीं जा पाए। बड़े भाई की पढ़ाई भी छूट गई। परिवार की आमदनी दोनों मर्दों को काम मिलने पर निर्भर है। वे महीने में नौ से दस हजार तक कमा लेते हैं

जसपाल हाशिये के समुदायों के उन 70 एथलीटों के समूह में 'स्टार' हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट राजिंदर सिंह छीना (60 वर्षीय) हरशे छीना गांव में मुफ्त प्रशिक्षण दे रहे हैं। छीना गर्व से बताते हैं, "मेरे पास कम-से-कम 70 एथलीट हैं जिन्हें प्रशिक्षण देता हूं। कुछ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। कुछ प्रो कबड्डी लीग में खेल रहे हैं। हमें कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती। लोग आते हैं, बच्चों को सम्मान देते हैं, मदद करने का वादा करते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। हमसे जितना हो पाता है, करते हैं।"

असलियत युवा एथलीट गुरकिरपाल गर्व से अपने जीते पुरस्कार और पदक दिखाती तो हैं लेकिन चेहरे पर पीड़ा का भाव छिपा नहीं पातीं। मैदान से जीती इन उपलब्धियों को लोहे की अलमारी में जतन से रखती हैं। नीचे की तस्वीर में पुरस्कारों-पदकों के साथ दिख रहा अधबना मकान इन परिवारों के संघर्ष और जिजीविषा का बयान है।

उसी गांव की एक और एथलीट रमनदीप कौर भी प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए हर रोज दस किलोमीटर पैदल चलती हैं। बताती हैं, "कभी-कभी मैं पांच किलोमीटर पैदल चलती हूं और फिर कोमलप्रीत के साथ स्कूटी पर बैठकर मैदान पहुंचती हूं जो चैनपुर गांव में रहती है। प्रशिक्षण के बाद मैं वापस पांच किलोमीटर पैदल चलती हूं।"

रमनदीप कहती हैं, "मुझे अकेले इधर-उधर जाने में डर लगता है, खासकर अंधेरे में लेकिन परिवार में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह हर रोज मेरे साथ चल सके।" प्रशिक्षण और फिर हर रोज 20 किलोमीटर पैदल चलने से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। रमनदीप (21) घरेलू कामों में भी हाथ बंटाती हैं, परिवार की एक गाय और एक भैंस की देखभाल करती हैं। घर के ठीक सामने 3-4 फीट चौड़े खड़ंजे के उस पार एक छोटी सी जगह है जहां वे अपने मवेशी रखते हैं। यह सब एकसाथ आसान तो नहीं ही है।

रमनदीप भी मजहबी सिख समुदाय से आती हैं। परिवार में कुल दस सदस्य हैं और घर चलाने की जिम्मेदारी दो भाइयों पर है, जो मजदूरी करते हैं। दोनों हर रोज कम-से-कम 350 रुपये कमा लेते हैं। साल 2022 में उन्हें 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनके पिता की मौत हो गई थी। अफसोस से बताती हैं, "हम पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे।" रमनदीप कहती हैं, "मेरी मां को 1,500 रुपये विधवा पेंशन के तौर पर मिलते हैं जिनसे वह मेरे खेलकूद के कपड़े खरीदती है।"

रमनदीप अपने घिस चुके जूते दिखाते हुए कहती हैं, "ये जूते मैंने तब खरीदे थे जब मैंने एक दौड़ में 3,100 रुपये का नकद इनाम जीता था। ये अब फट गए हैं। मैं फिर से दौड़ जीतूंगी और नए जूते खरीदूंगी।" रमनदीप के पास जूते हों या न हों लेकिन वह अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए दौड़ में हिस्सा लेती हैं। कहती हैं, "मैं पुलिस सेवा में एक सुरक्षित नौकरी पाने के लिए दौड़ रही हूं।"

चैनपुर गांव की कोमलप्रीत (15 वर्षीय), कोहाली की गुरकिरपाल सिंह (15 वर्षीय), रानेवाली की मनप्रीत कौर (20 वर्षीय) और सैंसरा कलां गांव की ममता (20 वर्षीय) के भी यही सपने हैं। ये सभी कोच छीना से प्रशिक्षण ले रही हैं। इनमें से हर युवा एथलीट सामाजिक स्थिति में बदलाव के साथ-साथ सरकारी नौकरी के जरिये अपने पूरे परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी चाहती हैं लेकिन इन नौकरियों की प्रवेश परीक्षाएं पास करना अलग ही बाधा दौड़ है।

खिलाड़ियों के लिए विशेष तीन प्रतिशत कोटा योजना के तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतना अनिवार्य है जिसके लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों तक पहुंच की आवश्यकता होती है। इन सुविधाओं के अभाव में लड़कियां कड़ी मेहनत करती हैं और राज्य भर में होने वाले सभी मैराथनों में 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लेती हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे जो पुरस्कार और पदक हासिल करती हैं, उससे उन्हें पुलिस बल में नौकरी के लिए शारीरिक फिटनेस टेस्ट पास करने में मदद मिलेगी जिसका वे सपना देख रही हैं।

इन नौकरियों में मजहबी सिखों को आरक्षण भी दिया जाता है। साल 2024 के राज्य भर्ती अभियान में पंजाब पुलिस में कांस्टेबलों के लिए 1,746 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया है जिनमें से 180 पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। इन 180 में से 72 सीटें इस समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

जसपाल और रमनदीप पिछले साल से पंजाब पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन कर रही हैं। 2023 में दोनों पंजाबी में लिखित परीक्षा में शामिल हुईं लेकिन सफलता नहीं मिली। भर्ती अभियान के लिए 2024 के विज्ञापन में तीन चरणों वाली चयन प्रक्रिया में पहले चरण के रूप में कंप्यूटर आधारित परीक्षा का उल्लेख है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को इस परीक्षा में कम-से-कम 35 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे, तभी वह दूसरे चरण तक पहुंच पाएंगे जहां उन्हें शारीरिक जांच परीक्षा और शारीरिक माप परीक्षण से गुजरना होगा। शारीरिक परीक्षणों में दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, वजन और ऊंचाई शामिल हैं।

दोनों लड़कियों को इस साल विज्ञापन में बताए गए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जसपाल अपने पिछले अनुभव याद करते हुए बताती हैं, "पिछले साल पंजाबी में लिखित परीक्षा हुई थी, कंप्यूटर आधारित नहीं। हमारे पास कंप्यूटर नहीं है।" पिछले साल जसपाल ने लिखित परीक्षा पास करने के लिए दो महीने की कोचिंग की थी जिस पर उसने 3,000 रुपये खर्च किए थे।

इस साल के परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में पंजाबी भाषा के क्वालीफाइंग पेपर के अलावा एक और पेपर देना होगा। जसपाल कहती हैं, "शारीरिक परीक्षण लिखित परीक्षा पास करने के बाद होगा। लेकिन जब आप लिखित परीक्षा पास ही नहीं कर पाओगे, तो शारीरिक परीक्षण की तैयारी करने का क्या मतलब रह जाता है?" ■

अनुवाद: देवेश; साभार: ruralindiaonline.org

नवजीवन
www.navjivanindia.com

NATIONAL HERALD
www.nationalheraldindia.com

قومی آواز
www.qaumiawaz.com

लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त पत्रकारिता

संडे नवजीवन
145 Issues
Total Price: ₹2,000

NATIONAL HERALD ON SUNDAY
105 Issues
Total Price: ₹2,000

105 Issues of Natiional Herald on Sunday & 145 Issues of संडे नवजीवन
Total Price: ₹4,000

SUBSCRIBE
www.nationalheraldindia.com/subscribe

For your copy of your favourite Newspaper The National Herald on Sunday ask your newspaper vendor or login to **www.nationalheraldindia.com/subscribe** to subscribe or mail to circulation **circulation.ajl@nationalheraldindia.com** or write to subscription cell **The Associated Journals Limited, Herald House, 5-A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002** or call **011-47636321/24**